

**MOTION ON PERSISTENCE OF VIOLENCE IN GUJARAT**

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, the most unfortunate happenings in Gujarat from 27<sup>th</sup> February onwards are a great national tragedy, and also for all of us an act of great national shame. Sir, here is an instance where for over two months the State Government has failed abjectly to restore law and order, where the fundamental human rights of innocent citizens continued to be violated, day after day. Sir, all this is happening at a time when the Armed Forces of the two countries are in a state of full mobilisation. To allow this state of affairs to persist for over two months, in a border State like Gujarat, is something which has grave implications for the protection of national security. I don't have to mention the harm that has been done to India's international image abroad. One doesn't have to buy all that the European Union and other Governments are saying, but all over the world, the human rights institutions, the Human Rights Watch Institute in Washington and the Commonwealth Human Rights Initiative, have all portrayed the situation, which is not very flattering to our national image.

Sir, I don't have to refer to the grave harm that these events have done and can further do to the processes of economic growth and development in our country. Sir, it is for these reason that this House thought it fit to debate this grave happening and we brought a Motion which directs the Union Government, under article 355, to take effective measures, to protect the life and property of citizens in Gujarat and to provide them effective relief and rehabilitation.

Sir, it was a good development when the hon. Leader of the House, Shri Jaswant Singh, speaking on behalf of the Prime Minister on May 2, said in this House that the Government respected the Motion in letter and spirit. That is a welcome development. But, Sir, I would like to say that in this matter, as in all other matters-the proof of the pudding is in its eating-the House would like to know from the Government, from the Prime Minister, from the Home Minister as to what package, what precise measures they have in mind, to intervene effectively in terms of the obligation that they have under article 355 of the Constitution.

Sir, some confusion is being created. Newspapers today carry a report of what the Prime Minister has said in Gwalior. I don't know whether that report is correct or not. In this report, the Prime Minister has said, "There is no need for any directive, because the Gujarat Government is

doing reasonably well." Sir, this is an under-statement of the year. This carnage in Gujarat goes on day after day for over two months. Is it a proof that Gujarat Government is doing reasonably well?

Therefore, Sir, we would like to know from the Government as to what is their thinking about effective intervention in terms of article 355 to safeguard, to protect the life and property of citizens of Gujarat, and to render them effective relief and assistance.

Sir, in this House, a large number of documents have been quoted - some non-official and some official. But we have respectable national bodies like the National Human Rights Commission, the National Commission for Minorities, the National Commission for Women, all of them, in essence, have made a severe indictment of the functioning of the Gujarat Government. All the three august bodies have made a large number of recommendations as to what needs to be done in Gujarat to bring the situation under control. It is my perception that nothing effective is being done to implement those recommendations. We would, therefore, like to know from the Government what is their intention with regard to the effective implementation of the recommendations of these three august bodies.

Sir, we have read in the newspapers that a Security Advisor has been appointed to the Chief Minister. Conflicting reports are appearing. I have seen in *The Economic Times* today a report which says that the Security Advisor will report to the Central Government. I have seen a statement by the hon. Chief Minister of Gujarat that the Security Advisor has been appointed to professionalise the police in terms of the recommendations of the National Human Rights Commission.

Sir, I would like the Government to inform this House what are the responsibilities that have been entrusted to the Security Advisor about whom we have only authenticate information in terms of the newspaper reports. Sir, I would be less than honest if I were not to mention in this House that the conduct of the Gujarat Government and, if I may say so, also the conduct of the Central Government in dealing with the situation in Gujarat, does not inspire confidence, at least, to this part of the House. We have a Chief Minister in a State who does not visit the relief camps until the Prime Minister is gracious enough to visit these relief camps. And this is not my comment. It is a comment of one of the three august Commissions that I have referred to that they felt it odd that no senior political dignitary of

the Gujarat Government thought it fit to visit these grief stricken people in relief camps. We have a Chief Minister who has the audacity to discriminate between the victims in Godhra and the victims elsewhere. We have a Chief Minister who presides over a Government where, according to the newspaper reports and which have not been contradicted, two of his Ministers were sitting in the Control Room the day carnage was being perpetrated in the city of Ahmedabad. Sir, for all these reasons, we cannot agree with the assertion that the Government of Gujarat is doing all that needs to be done or should be done to bring the situation under control. Therefore, the Central Government has a duty in terms of its Constitutional obligation to intervene effectively. Sir, as far as the Central Government is concerned, we are distressed to note statements that have been made. I would not refer to the statements of the responsible Ministers in the other House, regrettable though they are - what the Defence Minister stated or what Miss Uma Bharti stated - but overall the impression that is being sought to be created is that things are under control. Only, yesterday, I saw the report of the Home Ministry for the current year. I think, what is stated in one-and-a-half column in that report is a master understatement of the year. It mentions, 'the situation is being brought under control and that events of Gujarat cannot disturb the secular fabric of our country.' I do agree that the secular foundations of our country are strong. However, the perpetration of incidents like what is happening in Gujarat, if they are not brought under control, will certainly weaken the secular foundations of our country. They will encourage acts of terrorism and they will lead to consequences which none of us wish to take place in our country.

Therefore, the Central Government has an obligation to act and act effectively. Sir, we have, in this context, seen statements made by the hon. Prime Minister in Ahmedabad. He made some statements in Goa. These statements have been interpreted differently. The hon. Prime Minister himself comes out with a clarification. I do not wish to quarrel with his clarification. But, I would be less than honest, if I were not to tell the hon. Prime Minister that in public life - I am much junior to him but I do believe that I have a right to say this - there is such a thing called 'perceptions', and a wide spectrum of public opinion in this country feels that, if not the content, the tone with which the hon. Prime Minister made his statement at Goa, was not in consistent with what one expects from a great man like Shri Atal Bihari Vajpayee. I would not say more than that. I also saw, on that occasion, a statement attributed - If I am wrong, I may be contradicted

to the President of the BJP, Shri Jana Krishnamurthy, in which he refers Hindus as those who are provoked and Muslims as those who provoke. I would like to know from the hon. Prime Minister if he endorse this type of statements and the view expressed at the RSS meeting held recently that the welfare of the minorities in this country depends on the goodwill of the majority? Does it imply that we are saying goodbye to the rule of law, equality before law and protection of fundamental human rights of all citizens, regardless of their religion, caste and creed?

While intervening in the debate, Mr. Arjun Jaitley gave a large number of statistics. Mr. Jaitley is a distinguished Member of this Government and, if I may say so, is also a master of confronting techniques. Statistics have been mentioned but let me say that the general perception is that those types of statistics do not carry convictions with the ordinary people. How many people have been arrested? He gave instances of about 30,000 people. But only yesterday and the day before yesterday -- I hope I am not wrong and if I am wrong, he can contradict me -- *Hindustan Times* carried a report from Ahmedabad mentioning that the VHP was encouraging innocent poor Hindu boys to offer themselves for arrest, even if they were innocent, with the expectation that they would be found innocent and they would be released only to inflate the number of arrests that the Government could show for the consumption of the public.

Sir, hon. Minister has mentioned the figures of compensation given to the people who are dead. It is said that officially about 900 people were dead. But there are reports, and, if these reports are wrong, the Minister can contradict me, that there are over 2,000 people who are listed as 'missing.' Now those who are listed as 'missing', the law enforcing authorities are not going to certify them as dead. If they are not certified as dead, their relatives cannot claim compensation and their widows cannot get any compensation. So, what is the meaning of the statistics that the hon. Law Minister had been quoting. I think, at least, he owes an explanation to the House with regard to the truth behind these figures. The newspapers have also mentioned that although 30,000 people are supposed to have been arrested, only about 100 people are in jail and the rest are being released. The newspapers have further reported that when these people are released, the Ministers of the Government of Gujarat have welcomed them; and lead a procession while these people come out of jail. Is this the conduct worthy of a Government which is obliged to perform its duties in terms of the Constitution? Certainly, the behaviour of the Gujarat

Government does not give us any confidence that this is a Government which will do justice to all sorts of people without fear or favour, or this is the Government which would administer relief and rehabilitation fairly. With regard to the state of relief camps, again Mr. Jaitley mentioned a lot of figures. I do not wish to quote newspaper reports, but a telling commentary on the pathetic state of the relief camps is given in the editorial of the *Statesman*, dated 30<sup>th</sup> April, 2002, which is not a Congress newspaper. There, you would know that in the name of relief and rehabilitation, precious little is being done. We have cases where Ministers of the Gujarat Government want these hapless people to be moved away. We have instances of the Gujarat Ministers, setting up camps, not of Hindu refugees, but of vigilants to terrorise the people living in the nearby relief camps. Now, these are instances that are taking place, and if they are taking place, then, how can we ensure the safety of the people? The Prime Minister is reported to have said in a newspaper, yesterday, that the Gujarat Government was functioning reasonably well. It is our considered opinion that the Gujarat Government has abjectly failed to discharge its constitutional obligation. It is also our humble submission that the Central Government has not realised the gravity of the situation. It is not too late in the day, when the Prime Minister intervenes or when the hon. Home Minister intervenes, for they should tell us as to how effectively they will implement this Motion in letter and in spirit, as the hon. External Affairs Minister has mentioned. Sir, there are now demands in various parts of our country that what is happening in Gujarat should never be allowed to be repeated elsewhere. Maybe, a time has come to think in terms of a Central law which would provide for an effective action against those who indulge in these atrocities against women and minorities. Also, I think, looking at institutions or bodies like the VHP who preach hatred to the extent which they are doing, it is a fit case where civil suits should be brought against those bodies or institutions which incite communal passions, create situations of the type that have taken place in Gujarat. Sir, the Prime Minister has announced a package of Rs. 150 crores. I hope it is based on some assessment of the Government. The newspaper reports clearly tell us that the damage is much more to the properties in the State of Gujarat. Therefore, there is a need for an effective plan of action to see that all those innocent citizens, who have lost their properties, are rehabilitated in an effective manner. The banking system has an obligation, and we would like to hear from the Government as to what it is going to do to goad the banking system in Gujarat and elsewhere to recognise its responsibilities

and come to the aid of the riot-affected victims. Sir, there are a large number of complaints that the FIRs have not been registered. ...or, they have been registered in a manner which will not enable conviction of the guilty people. These are not my complaints; these are complaints in the reports of the three National Commissions that I have mentioned. I would like the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to tell this House what they are going to do to ensure that FIRs are registered properly; that they are registered in a manner which will not subvert the processes of law and justice.

Sir, for all these reasons, I feel that the Central Government has a grave responsibility. We are all waiting for what the Prime Minister and the Home Minister have to say on this, and we want to see how they will discharge their Constitutional obligations in terms of the powers they have under Article 355 of the Constitution.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : सर, आप तय कर लें, तब तक मैं दस पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गये हैं। बैरागी जी, आप बैठ जाइये।

श्री बालकवि बैरागी : आदरणीय प्रधान मंत्री जी, मुझे कवि धर्म का निर्वाह करने दीजिए।

श्री सभापति : ये दस पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, "या बैरागी धिस की गति जाने नहीं कोय।" सभापति जी, सबसे पहले मैं इस बात पर प्रसन्नता प्रकट करना चाहता हूँ कि गुजरात के मामले में सदन एकमत से एक संकल्प पारित करने जा रहा है। यह इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सदन में हम अल्पमत में हैं और हमारी बात यहां चलेगी नहीं। लोक सभा में हमारा बहुमत था फिर भी चर्चा के अंतिम क्षणों में हमने यह प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव और भी सूत्रों की ओर से आया और विशेषकर श्रीमती सोनिया गांधी के माधुन्य के बाद कि सदन मत विभाजन न करे, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी पहले तो तैयार हो गईं, लेकिन बाद में जाकर मत का विभाजन हुआ। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा था, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I have a point of order. Can he refer to the proceedings of the other House here? ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पटेल (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, दूसरे सदन की कार्यवाही का उल्लेख इस सदन में नहीं किया जा सकता। ...*(अव्यवधान)*... सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

दूसरे सदन में कही गई बात को इस सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।...(व्यवधान)...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, अगर इस पर आपत्ति है तो मैं इस विषय को नहीं लूंगा।

**श्री सभापति :** वह इस विषय को नहीं लेंगे। वह नहीं ले रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। प्रतिपक्ष की नेत्री के रूप में जो कुछ उन्होंने कहा, उसको भले ही मैं उद्धृत न करूं, वह सदन में कहा और अगर वह सदन के बाहर कुछ कहेंगी, तो उसे उद्धृत किया जा सकता है। यह मेरा अधिकार है। और इसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है उसका एक महत्व है, इसीलिए मैं उसको उद्धृत करना चाहता था। आप उस महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...(व्यवधान)...

**SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka):** Sir, Mrs. Sonia Gandhi cannot come here and defend herself. ...*(Interruptions)*...

**SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan):** Sir, she cannot come and reply here. ...*(Interruptions)*... आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*...

**नीलाना ओबेदुल्ला खान आजमी (झारखंड):** आप उस हाउस की बात यहां मत बोलिए। आप उसका जवाब उसी हाउस में दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

**SHRI JANARDHANA POOJARY:** There are some rules...*(Interruptions)*... He cannot ...*(Interruptions)*...

**MR. CHAIRMAN:** He is not referring to that...*(Interruptions)*...

**नीलाना ओबेदुल्ला खान आजमी :** उसका जवाब आप उस हाउस में दीजिए । ...*(व्यवधान)*...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, सर्वसम्मति से हम एक प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं। इस पर भी ऐन वक्त पर कुछ आपत्तियां की गयी हैं और आपत्ति खास तौर से मेरे ग्वालियर में दिये गये वक्तव्य को लेकर है। मेरा अपना वक्तव्य अक्षरशः मेरे पास है। मुझसे प्रश्न पूछा गया था - यह प्रेस सम्मेलन की बात है - प्रश्न इस प्रकार था "सरकार ने सदन में कहा था कि आर्टिकल 355 के तहत गुजरात सरकार को नोटिस दिया जाएगा, इस तरह का गुजरात सरकार को अलग से नोटिस देने की बात कही गयी थी, फिर आगे सवाल है कि नोटिस अभी तक क्यों नहीं दिया गया और कब दिया जाएगा। मैंने इसका उत्तर दिया था "जो संसद में चर्चा हो रही है, वह एक तरह से गुजरात की सरकार के लिए भी नोटिस है। इस धारा के अंतर्गत केन्द्र राज्य को निर्देश दे सकता है लेकिन अगर बिना औपचारिक रूप से निर्देश दिए हुए केन्द्र के अनुसार प्रदेश की सरकार अपनी गतिविधियां जारी रखे तो फिर निर्देश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।" यह वक्तव्य तब दिया गया था, यह प्रश्न तब पूछा गया था जब सदन ने प्रस्ताव पारित नहीं किया था। प्रस्ताव, विचाराधीन है, इसके सर्वसम्मति से पारित होने के बाद जो

दायित्व आएगा, उसका सरकार पालन करेगी और पूरी तरह से पालन करेगी। मैं नहीं समझता कि इस बात को लेकर कोई मतभेद होना चाहिए या विवाद होना चाहिए। जब जसवंत सिंह जी ने कहा कि हम लैटर में और स्पिरिट में इस प्रस्ताव को मानते हैं तो फिर हमने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी, उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।...(व्यवधान)...

**डा० अब्दुर अहमद (राजस्थान) :** वर्तमान हालात में आप निर्देश देने की आवश्यकता समझते हैं या नहीं।...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तरांचल) :** नेता विरोधी दल बोले तो हम चुपचाप सुनते रहे। अब आप चुपचाप सुनिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, चर्चा का आरम्भ श्री अर्जुन सिंह जी ने किया। उनका भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना है लेकिन मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि वर्तमान पर विचार करने के बजाए, वर्तमान से भविष्य की ओर देखने के बजाए वह कई दशकों पीछे चले गये। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सर संघचालक द्वारा लिखी गयी एक पुस्तक का उल्लेख किया, उसके कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाए। वह पुस्तक कई साल पहले वापिस ली जा चुकी है। उस पुस्तक से हमें कुछ लेना-देना नहीं है। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, वह उनके अपने विचार थे। संगठन ने कभी उन विचारों पर मुहर नहीं लगायी मगर इस समय उन्हें उठाने की आवश्यकता क्या है? मैं देख रहा हूँ कि एक प्रयास हो रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, फासीवाद सिर उठा रहा है। इसका क्या मतलब है? भारत का लोकतंत्र इतना दुर्बल नहीं है। जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे जनता धराशायी कर देगी, उसे जनता परास्त कर देगी। इमरजेंसी और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका हम स्मरण कर सकते हैं मगर मैं उसका स्मरण नहीं दिलाना चाहता। अब यह कहा जा रहा है कि एक खतरा है। किस तरह का खतरा है? क्या कानून का उल्लंघन हो रहा है? किस रूप में हो रहा है?...(व्यवधान)...

**कुछ माननीय सदस्य :** हाँ, हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Please do not interfere.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अर्जुन सिंह जी ने मेरे ऊपर विशेष जिम्मेदारी डाली है। मैं इनकी कद्र करता हूँ। मेरा सारा जीवन साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यतीत हुआ है। जहाँ मतभेद प्रकट करना जरूरी थे, मैंने मतभेद भी प्रकट किए हैं। मेरे गोदा के भाषण को लेकर काफी चर्चा हुई है। अब कहा जा रहा है कि भाषण वैसे इतना आपत्तिजनक नहीं था मगर आपका जो लहजा था, वह बड़ा सख्त था, वह ठीक नहीं था। अब मुझे अपना लहजा सुधारना पड़ेगा। मैंने जो कुछ कहा था, वह मेरे पास है। मैंने इस्लाम की आलोचना नहीं की। मेरा भाषण मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं कभी अंतर्मन से सोच भी नहीं सकता कि किसी दूसरे धर्म पर आपत्ति की जाए, आक्षेप किया जाए। मतभेद होना अलग बात है लेकिन "सर्वधर्म समभाव" इस देश की मिट्टी का गुण है, इस देश की मिट्टी की खुशबू में है। यह कोई 1947 के बाद की देन नहीं है या यह कोई आधुनिक काल में हमने आविष्कार किया हो, ऐसा नहीं है। इस देश में मत-मतान्तरों को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं और उन मतभेदों को शांति के साथ शास्त्रार्थ के द्वारा हल करने की परंपरा रही है। मेरे उस वक्तव्य की बड़ी चर्चा होती है कि



"आपने नरेन्द्र मोदी को कहा कि राजधर्म का पालन करो और मैंने कहा कि नरेन्द्र मोदी मुझे कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन हो रहा है," यह उद्धृत नहीं किया गया। अब मुझसे कहा जाता है कि आप अपने राजधर्म का पालन करिए। मैं चाहता हूँ इसको निराकार रूप में न कहा जाए, इस बैठक का लाभ उठाकर आप साकार रूप में यह बात कहें कि राजधर्म के पालन के लिए क्या मोदी के त्याग-पत्र देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ? ... (व्यवधान)...

**कुछ माननीय सदस्य :** बिलकुल नहीं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** लेकिन आप मोदी के त्याग-पत्र की बात नहीं कर रहे हैं।  
... (व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY (West Bengal): His resignation is the first thing.

MR. CHAIRMAN: Let the Prime Minister speak. ... (Interruption) ... It won't go.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, मैंने यह बात कही थी कि कई देशों में कट्टरता बढ़ रही है, मजहबी कट्टरता, जुझारू कट्टरता, झगड़ालू कट्टरता और दुनिया के अनेक देश इस संकट का सामना कर रहे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं। यह उनके लिए चिंता का विषय है। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने मिलिटेंट इस्लाम की बात तो कही लेकिन मिलिटेंट हिंदुइज्म की बात नहीं कही। यह ठीक नहीं है। गोवा के भाषण के पहले मेरा एक भाषण दिल्ली में हुआ था, श्री मलकानी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर, जिसमें हिंदुत्व की चर्चा की गई थी और तब मैंने यह कहा कि मुझे हिंदुत्व स्वीकार है, स्वामी विवेकानन्द का हिंदुत्व मगर आज जिस तरह के हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, वह गलत है, वह उचित नहीं है, उससे हमें कोसों मील दूर रहना चाहिए। मगर मीडिया ने इसको प्रमुखता नहीं दी। आलोचकों ने इसको नहीं पढ़ा। यह लड़ाई एक गहरी लड़ाई है और अगर यह विचारधारा के स्तर पर लड़ी जानी है तो उदारता में और कट्टरता में जिसको देश चुनना चाहे, इसके बारे में फैसला करना चाहिए। मगर हम ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे सभी एक टोली में रखे जाएँ, एक झांकी में रखे जा रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि जो मिलिटेंट विचारधारा है उसका विरोध हो, यह विचारधारा कहीं पनप रही हो और किसी भी रूप में पनप रही हो। अगर कोई हिंदू संगठन देश की एकता के लिए खतरा बनता है, बनेगा नहीं, मेरा विश्वास है ... (व्यवधान) ... बनना भी नहीं चाहिए ... (व्यवधान) ... लेकिन उसके लिए भी कानून है, कार्रवाई है ... (व्यवधान) ... आप उसके खिलाफ जनमत भी बना सकते हैं ... (व्यवधान) ... सभापति महोदय, इसके साथ ही यह भी कहा जाता है ... (व्यवधान) ...

**एक माननीय सदस्य :** पहले सवाल करते हैं, सवाल के जवाब जो सुनिए ... (व्यवधान) ...

**श्री सभापति :** आप बैठिए, आप बैठिए, लेट दि प्राइम मिनिस्टर स्पीक ... (व्यवधान) ...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** गुजरात क्यों हुआ, गुजरात में उपद्रव क्यों हुए, इसके अलग-अलग कारण दूढ़े जा रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि फासीज्म बढ़ रहा है, सारे देश पर हावी होना चाहता है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अनी जो चुनाव हुए थे उनमें हार गए। फिर आपको क्या चिंता है ?

आप लोकसभा के चुनाव में भी हमें हरवा दीजिए। लेकिन आप लोकसभा के चुनाव तक रुकना नहीं चाहते, आपको अभी सत्ता चाहिए, अभी ... (व्यवधान) ... और इसीलिए जो राष्ट्रीय संकट हैं वे भी उपेक्षित होते जाते हैं ... (व्यवधान) ...

**श्री जीवन राय :** यू.पी. में कैसे कब्जा हुआ ... (व्यवधान) ...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, जो भाषण हुए उन्हें मैंने ध्यान से सुना है, पढ़ा या देखा है। कुछ भाषण सचमुच बहुत अच्छे थे। मैं बाकी भाषणों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। इस घर्षा में दो पटेल बोले और दोनो ठीक बाले। जो कुछ उन्होंने कहा नाप-तोलकर कहा, अपनी बात कह दी मगर उसे उत्तेजनात्मक रूप नहीं दिया। मेघालय के एक मित्र, जो नये चुनकर आए हैं उनका भाषण दो सबके लिए मार्गदर्शक है। वे पहले मिलिटेंट थे। मिलिटेंट बदल रहे हैं, मिलिटेंट समझ रहे हैं कि उनकी विजय नहीं होगी, मिलिटेंसी की परंपरा निश्चित है। यह लोकतंत्र का युग है, लोकतंत्र की हवा आ रही है। इस लोकतंत्र की हवा को रोकना है तो लोकतांत्रिक तरीकों से रोकना होगा। विचारों के खड़ब-मड़न करना पड़ेगा। दबाव से नहीं, आरोप-प्रत्यारोप से नहीं ... (व्यवधान) ...

**श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) :** लेकिन दंगे चलते रहेगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** समापति महोदय, इसका साथ ही यह भी कहा जाता है ... (व्यवधान) ... मेघालय के नए सदस्य ने कहा कि मैं नया-नया आया हूँ, मैं पहले मिलिटेंट था अब मैंने सबका परित्याग कर दिया है और अब मैं फैसला करता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र का हिस्सा से चलूंगा और वेल में कमी नहीं कूटूंगा। क्या यह बात सबको स्वीकार है? ... (व्यवधान) ... और भी भाषण हुए। मेरा निवेदन है कि गुजरात में जो कुछ हुआ वह निन्दाजनक है, लज्जाजनक है। मैंने ठीक ही कहा था कि यह हमारे माथे पर एक कलंक है। अब यह कहकर इस कलंक की महाराई कम नहीं की जा सकती कि गुजरात में ऐसा होता रहा है। यह गिनाया जाता है कि हर दो साल बाद गुजरात में दंगा होता है। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता है। कई दिनों तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी रहती है और मिसालें गिनाई जाती हैं। जैसे आज माइनारिटी कमीशन गया, उस समय भी माइनारिटी कमीशन गया था, जब सोलंकी जी मुख्य मंत्री थे, जब गुजरात में दंगा हुआ था। उसकी रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप उसमें से साल निकाल दें तो रिपोर्ट, ऐसा लगता है जैसे इसी दंगे की है। यह कारण क्या है? यह पार्टी का सवाल नहीं है। आप जब थे तब दंगे होते थे, हम आए हैं तब दंगे हो रहे हैं। क्या यह मिलकर, बैठकर विचार करने वाली बात नहीं है ... (व्यवधान) ...

**श्री नीलोत्पल बसु :** क्या यह बात ठीक है? ... (व्यवधान) ...

**श्री अहमद फटेस (गुजरात) :** सोलंकी जी ने इस्तीफा दे दिया था ... (व्यवधान) ... उनका इस्तीफा ले लिया गया था ... (व्यवधान) ...

**श्री नरेन्द्र मोहन :** नहीं, मुख्य मंत्री जी ने उस पर इस्तीफा नहीं दिया था ... (व्यवधान) ... गुजरात की उस घटना पर मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया था ... (व्यवधान) ... आप सदन को गुमराह कर रहे हैं ... (व्यवधान) ...

**श्री नीलोत्पल बसु :** प्रधान मंत्री जी बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़कर ...**(व्यवधान)**... लोग जा रहे हैं ...**(व्यवधान)**... अगर वह गलत था तो यह भी गलत है। कैसे इससे निपटेंगे यह आप बोलिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** जब मैं विदेश यात्रा के बाद ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

**श्री संघ प्रिय गौतम :** सभापति जी, इन्हें चुप कराइए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** और विदेश यात्रा में जो मेरे अनुभव हुए और जो बातें सुनीं, वे भी मेरी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं काम कर रही थीं। लेकिन लौटने के बाद जब मैं मोआ गया, हम यह मन बनाकर गए थे कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन करना होगा लेकिन ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Let him speak, please. Why do you interrupt him?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन से स्थिति और बिगड़ती, यह हमारा आकलन था, तो? क्या हमें अपना स्वतंत्र आकलन करने का अधिकार नहीं है। सत्ता हमारे हाथ में है। केंद्र की जिम्मेदारी है। तत्काल परिवर्तन करने से क्या होगा, जब इसका चित्र हमारे सामने आया तो ऐसा लगा कि इस समय यह कदम उठाना ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपका आकलन गलत था। मैं कहूंगा, हमारा आकलन सही था और हम अपने आकलन के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें मतभेद हो सकते हैं, मगर प्रामाणिक मतभेद होने चाहिए। जिस तरह के आराप-प्रत्याराप लगाए गए हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं गुजरात गया था। अब कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं गए। पहले मुझे आने से मना किया था। मेरे जाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ होगा, थोड़ी अस्त-व्यस्तता आएगी, आप मत जाइए। मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा था।

**श्री नीलोत्पल बसु :** किसने बुलाया था आपको?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** आपने नहीं बुलाया।

**श्री नीलोत्पल बसु :** मोदी जी ने मना कर दिया था आपको?...**(व्यवधान)**...

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैंने स्वयं जाने का फैसला किया। उसके पहले आडवाणी जी जा चुके थे। जार्ज साहब को उसी रात, उसी शाम को भेजने का फैसला किया गया था ...**(व्यवधान)**...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** सभापति जी, इन्हें रोके। बहुत बुरी बात है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No interruptions, please.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, जो स्थिति देखी वह बड़ी दर्दनाक थी। आडवाणी जी ने ठीक कहा है कि उन्हें विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों की याद है। वे मुक्तभोगी थे। गुजरात में जो कुछ हुआ उसे देखकर 1947 के उपद्रव की याद आती है। हम कहते हैं कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है। तो क्या इतिहास इस बुरे तरीके से अपनी पुनरावृत्ति करेगा?

गोधरा और गोधरा के बाद जो कुछ हुआ, उसकी निन्दा करने के लिए शब्द नहीं हैं। अब मुझे कहा जाता है कि आप गुजरात में कुछ कहते हैं, गोआ में कुछ कहते हैं, मुझे विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा मैं क्यों करूंगा ? यह राजनीति नहीं है। गुजरात में कोई चुनाव भी होने वाले नहीं हैं। उप चुनाव का सवाल भी पैदा नहीं होता। ... (व्यवधान) ... लेकिन जो अपना अनुभव है और उन अनुभवों के बारे में जो आकलन है, वह अलग-अलग हो सकता है। उसमें एक रास्ता खोजने की जरूरत है। मुझे प्रसन्नता हुई जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, मैं लोक सभा का उद्घरण नहीं दे रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि अब हमें विभाजन का रास्ता छोड़ कर एकता का रास्ता अपनाना चाहिए, आपस में मुठभेड़ का रास्ता छोड़ कर सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। यह उनका भाषण है। क्या मैं समझूँ कि यह दुनिया को दिखाने के लिए भाषण दिया गया था। यह भी मानने को तैयार नहीं हैं। ... (व्यवधान) ... अर्जुन सिंह जी ने भी उस दिन जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कुछ तथ्य उठाए, पर कहीं न कहीं यह इच्छा जरूर थी कि देश जिस रास्ते पर जा रहा है, इसका उन्हें डर है। उस पर नहीं जाना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं और इसके लिए आपस में मिल कर बैठने की जरूरत है, मिल कर फैसला करने की जरूरत है। गोधरा में जो कुछ हुआ, सारे देश को कंपाने वाला था। कभी-कभी हम उसका सही आकलन करने में गलती कर सकते हैं। दोनों को एक तराजू में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोधरा का जवाब अहमदाबाद नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, हत्या का जवाब हत्या नहीं हो सकती। यह जो बदले की भावना है इसको छोड़ना पड़ेगा। यह लोकतंत्र है, यह लोकराज है, यहां कानून का शासन है। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है और किसी को जिन्दा जलाने का काम किया है तो कानून को उसकी चिता करनी चाहिए और कानून चिता करेगा। ... (व्यवधान) ... हम कोशिश करें कि ऐसे लोग कानून की गिरफ्त में आएँ और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। इस संबंध में आपके जो भी ठोस सुझाव होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अब आप यह प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं, हम से क्या आशा की जाती है, इस सरकार से क्या आशा की जाती है, यह भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप यह पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। हम तो कुछ कदम उठा रहे हैं। गिल को भेजना भी उनमें से एक कदम है, डेढ़ सौ करोड़ की पुनर्वास निधि का एलान करना भी एक कदम है, और भी कदम उठाए गए हैं। स्थिति सामान्य हो रही थी, मगर फिर से उसमें एक मोड़ आया है। ऐसा लगता है कि कुछ तत्व हैं जो तुले हुए हैं, जो स्थिति को सामान्य होने से रोक रहे हैं और ऐसे तत्व दोनों तरफ हो सकते हैं। उनसे हमें मिल कर लड़ना होगा। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, एक-दूसरे की नीयत पर शक करेंगे, अगर वोट पर नज़र रख कर फैसले होंगे तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। इसको बदलने की आवश्यकता है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइये, जो हो गया वह एक दुःस्वप्न था, ऐसा भयावह सपना इस देश को फिर कभी देखने को न मिले। ... (व्यवधान) ... लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें, गुजरात में एक बार नद निर्माण की आवश्यकता पड़ी थी और गुजरात फिर से खड़ा हो गया था। मुझे गर्वीले गुजरात पर पूरा विश्वास है, गौरव है, गुजरात खड़ा रहेगा। गुजरात में जो आवश्यक कदम होंगे, वे उठाए जायेंगे। उसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इस चर्चा में सुझाव दे सकते हैं या बाद में हम लोग मिल कर तय कर सकते हैं कि प्रस्ताव के पारित होने के बाद किस तरह की रणनीति अपना कर कार्यवाही की जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** समापति जी, मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री जी के इस बयान के बाद अगर प्रस्तावक महोदय अपना उत्तर दें तो वही ठीक प्रकार से होगा।

**श्री समापति :** ठीक है।

**SHRI JANARDHANA POOJARY:** Sir, the Prime Minister has not answered the points raised by the mover of the Motion. Kindly see as to what is happening in Gujarat today. Sir, the people are threatened. They are saying, " You withdraw the cases; otherwise...*(Interruptions)*...

**SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:** Are you reopening the discussion?  
...*(Interruptions)*...

**SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal):** Sir, it is true that it is for the Home Minister to decide whether he will speak or not. I can't force him. ...*(Interruptions)*...

**SHRI L.K. ADVANI:** I will speak. I have no objection.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** In the fitness of things, ...*(Interruptions)*... Let me complete. When the Prime Minister speaks, he speaks from a general point of view, and he gives an overview, but the Minister in charge has to respond to certain specific issues which have been raised in a 17-hour-debate.

**SHRI L.K. ADVANI:** Pranabji, I will speak.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Let me complete. My respectful submission to him is...*(Interruptions)*...

**SHRI L.K. ADVANI:** I will speak.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** Okay.

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** समापति जी, मैं ने जो अभी बात कही, वह भी इसी कारण कही कि हम समझते थे कि गुजरात की परिस्थिति ऐसी है जिस में चर्चा में केवल दोनों पक्ष न आए, लेकिन चर्चा से यह भी उमरे कि पूरी-की-पूरी संसद एक स्वर से गुजरात की घटनाओं की निंदा करती है और संकल्प करती है कि वहां पर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द लाएंगे। यही कारण है कि चर्चा नियम 184 में हो या 193 में हो, इस पर काफी विवाद चलता रहा। महोदय, चर्चा के लिए सरकार तो शुरू से तैयार थी, लेकिन 184 का मतलब है, मत-विभाजन।

**श्री प्रणब मुखर्जी :** इस हाउस में नियम 170 के तहत है।

**SHRI L.K. ADVANI:** I know that. I don't remember the exact rule.

**SHRI PRANAB MUKHERJEE:** It is 170.

SHRI L.K. ADVANI: It is 170. Even in the other House....

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बताया हम को जानकारी थी कि बहुमत हमारा है, उस के बावजूद भी हम को लगता था कि अगर एकमत से कोई प्रस्ताव पारित कर लेंगे तो संदेश ठीक जाएगा। महोदय, विपक्ष भी तैयार था और एक, दो ड्राफ्ट भी बन गए, दो ड्राफ्ट मेरे पास भेजे गए कि दोनों ड्राफ्ट्स में से कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे तो दोनों ठीक लगते थे, लेकिन फिर एकमत नहीं बना और चूंकि मत-विभाजन हुआ तो उस में से परिणाम भी आ गया। हम जो अपेक्षा करते थे, शायद उस से ज्यादा हम को समर्थन मिला। इसलिए जब उस दिन जनेश्वर मिश्र जी बोल रहे थे कि घुटने टेकने से काम चल जाता है तो घुटने टेकने का इरादा नहीं था। मैं तो याद करता हूँ उस समय जिस समय यह प्रस्ताव पहली बार आया था तो उस का जो स्ट्रक्चर था, उस के बारे में प्रमोद जी ने मुझ से पूछा था कि इस में कुछ परिवर्तन कर के ऐसा बनाया जा सकता है कि जिसे हम स्वीकार कर लें? तो मैं ने स्वयं भी सुझाया कि ऐसे-ऐसे कर लें तो शायद कोई आपत्ति नहीं होगी और उसे अगर पूरे-का-पूरा सदन स्वीकार कर लेगा तो आपत्ति नहीं होगी। महोदय, मैं आगारी हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया और उस आधार पर आप ने उसे एडमिट किया। महोदय, मैं वह पहले का प्रस्ताव नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि एडमिट प्रस्ताव यही है जो कि अर्जुन सिंह जी ने रखा और जिस में कहा गया है कि

"That this House expresses its deep sense of anguish at the violence in Gujarat for over six weeks, leading to loss of lives of a large number of persons, destruction of property worth crores of rupees, and urges the Central Government to intervene effectively under article 355 of the Constitution..."

अगर चाहते तो प्रस्तावक महोदय कह सकते थे कि It is of the view that the Government should invoke article 356 and put the State under President's rule. "Dismiss the Government", it could have said. It did not say. It said:

"It urges the Central Government to intervene effectively under article 355 of the Constitution to protect the lives and properties of the citizens, and to provide effective relief and rehabilitation to the victims of violence."

महोदय, अब इस के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा सदन की व्यथा, वेदना प्रकट करता है। दूसरा हिस्सा केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता है कि गुजरात के मामले में अनुच्छेद 355 के अधीन हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे। अब इस पर बहस हुई है और श्री फाली एस० नारीमन जैसे कानूनी विद्वान बोलें हैं और कपिल सिब्बल जी बोलें हैं। मैं कानूनी विद्वान नहीं हूँ और इस तरफ से जो कुछ कहना था, हमारे अरुण जी ने कह दिया। लेकिन एक राजनैतिक व्यक्ति के नाते जो वर्षों से दोनों घाराओं को देखता रहा है 355 और 356, मैं इस

1.00 P.M.

बात को समझने में असमर्थ हूँ कि 355 means that article 356 cannot be far behind. अनुच्छेद 355 का उपयोग करना या इस बात को स्वीकार कर लेना कि सरकार अनुच्छेद 355 के अंदर कार्यवाही करेगी, उसका अर्थ है कि डायरेक्शन इश्यू करना और उस सरकार को डिसमिस करना या डायरेक्शन इश्यू करना और कोई न कोई कठोर कार्यवाही करना। मैं समझता हूँ कि सेंटर - स्टेट रिलेशन के संबंध में आज तक सरकारी कमीशन से अधिक अधिकृत, जिसको किसी ने चेलेन्ज नहीं किया, और कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अनुच्छेद 355 की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या इसमें दी गई है, 356 की तो है ही, लेकिन 355 के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह फाली नारीमन जी के और सिब्ल जी के इस कथन से बिल्कुल विपरीत है कि अगर अनुच्छेद 355 का उपयोग करने के लिए सरकार तैयार है तो उसका मतलब अनुच्छेद 356 को लगाना ही पड़ेगा। उनका तो उल्टा कहना है कि अगर अनुच्छेद 356 की स्थिति आती है तो प्रायः सरकार को लग सकता है कि 356 नहीं होना चाहिए और 356 न होते हुए भी क्या किया जा सकता है तो उसका अधिकार अनुच्छेद 355 ने दिया है। जैसे उनका कहना है कि सामान्यतः किसी राज्य में स्थिति बहुत खराब हो जाए, पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेन्स हो जाए तो सामान्यतः वहां की राज्य सरकार मांग करेगी कि आप पैरा-मिलिटरी फोर्स भेजिए, वहां की सरकार मांग करेगी कि आप आर्मी भेजिए। लेकिन, समझो, ऐसी स्थिति आती है और प्रदेश सरकार मांग नहीं करती, वहां की सरकार कहती है कि नहीं, हम नहीं मांगेंगे और केन्द्र की सरकार को लगता है कि स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर आर्मी भेजना चाहिए, वहां पर पैरा-मिलिटरी फोर्स भेजना चाहिए तो वह प्रदेश की सरकार चाहे या न चाहे केन्द्रीय सरकार की जवाबदारी हो जाती है। Article 355 imposes a duty on the Government. It does not specifically arm it with powers. But it imposes a duty. It is significant.

सभापति जी, मैंने तुलना करने की कोशिश की कि दुनिया के बाकी फेडरल कंट्रीज में आर्टिकल 356 की क्या स्थिति है तो पाया कि आर्टिकल 356 प्रायः कहीं नहीं है। अमरीका में यह नहीं है कि किसी भी स्थिति में वहां की केन्द्र की सरकार किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके वहां की असेम्बली के स्थान पर कांग्रेस के सारे अधिकार ले ले। जैसे हम कर सकते हैं, वैसे अमरीका में नहीं हो सकता, वैसे जर्मनी में नहीं हो सकता, वैसे स्विटजरलैंड में नहीं हो सकता, वैसे आस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता, लेकिन 355 के समान एनालोगस प्रोवीजन प्रायः सब में है इन्क्लूडिंग अमरीका। 355 के समान अमरीका में भी है, जर्मनी में भी है, स्विटजरलैंड में भी है, लेकिन आर्टिकल 356 के समान नहीं है। इसीलिए मुझे यह लगा कि इन्होंने जो कुछ कहा है, सरकारी कमीशन ने और जिसमें उन्होंने कहा है...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : बिहार में आपने लगाना था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, बिहार में ही नहीं, बंगाल के बारे में भी मैं कहूंगा...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : वहां कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाए।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उस समय वहां हमारे ऊपर आपत्ति की जा रही थी कि अधिकारी को नहीं भेज सकते, आपका अधिकार नहीं है। मैंने कहा था कि मेरा अधिकार आर्टिकल 355 में झा होता है, आर्टिकल 355 मेरे ऊपर जवाबदारी डालता है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** सभापति जी, मुझे खुशी है कि यह माननीय सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव की आज पुष्टि करेगा, जो बात तीन साल पहले मैंने वेस्ट बंगाल की सरकार के संदर्भ में कही थी और जब सदन सर्वसम्मति से पुष्टि करेगा तो केन्द्र की सरकार की जो जवाबदारी है in respect of a State, and it is not against a State. The duty cast on the Central Government is to protect the State; whereas, article 356 is a responsibility where it has an adversarial role कि भाई तुम्हारी सरकार जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, इसलिए हम यह कदम उठा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 355 में एडवर्सरियल रोल नहीं है, असिस्टिंग रोल है और इसीलिए इसमें कहा है, "Under article 355 a whole range of action on the part of the Union is possible depending on the circumstances of the case, the nature, the timing and the gravity of the internal disturbance". क्योंकि 355 में तीन कंसेप्शन्स हैं -- एक एक्सटर्नल ऐग्रेसन है, दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस है और तीसरा है फेल्योर टू एक्ट इन ऐकॉर्डेंस टू दि कांस्टीट्यूशन । इन तीनों चीजों में 355 हमारे ऊपर ड्यूटी डालता है कि यह आपका काम है, आप देखें कि अगर एक्सटर्नल ऐग्रेसन है तो स्टेट को प्रोटेक्ट करें, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो उससे भी स्टेट को प्रोटेक्ट करें और अगर संविधान के अनुसार वहां शासन नहीं चल रहा है तो भी आप इंटरवीन करके कार्रवाई करें । "In some cases advisory assistance by the Union to the State for the most appropriate deployment of its resources may suffice." मैंने आर्मी भेज दी, पैरामिलिट्री फोर्सिस भेज दिए और वहां की सरकार अगर जान-बूझकर उनका उपयोग न करे तो Article 355 gives me the authority to tell the State Government that this has to be done. 356 का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसका भी उपयोग करूंगा, लेकिन 355 के अंतर्गत Short of invoking article 355, so many things can be done which we are able to do. In more serious situations augmentation of the States on efforts by rendering Union assistance in men, material and finance, may be necessary. मैं यह सारा नहीं पढ़ता हूँ, तीन-चार पेज हैं जिसमें बड़े विस्तार से 355 और 356 के बीच में अंतर करके एक प्रकार से हम जो आज तक करते आए हैं ...*(व्यवधान)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Minister, will you yield for a minute? Sir, I would request the hon. Home Minister to reply to the specific questions relating to Gujarat. We are not having an academic session. Actually, what has happened in Gujarat? What has the Government of India done in Gujarat? ...*(Interruptions)*...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैं इतना ही कहूंगा कि जिस समय सदन के नेता ने प्रस्ताव पर, प्रस्तावक के भाषण के बाद, तुरंत सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री की ओर से कहा कि "We accept this Motion in letter and spirit." तो उन्होंने एक वाक्य और भी कहा जिसमें उन्होंने कहा कि सचमुच मैं जिस दिन से गुजरात में यह स्थिति पैदा हुई है, हम एक प्रकार से 355 के अधीन कार्रवाई करते आए हैं ।



**श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल):** यह एक प्रकार की बात नहीं है ।...**(व्यवधान)**...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** सभापति जी, इनको बैठाइए ।...**(व्यवधान)**...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैं जवाब दे रहा हूँ । इस समय, सभापति जी, मैंने जो प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, जो अर्जुन सिंह जी ने प्रस्तुत किया था, वह वेदना और व्यथा पूरे सदन की है । सरकार की ओर से जो बात प्रधान मंत्री जी कह चुके हैं, सदन के नेता सबसे पहले दिन कह चुके हैं "We accept this Motion in letter and spirit." तो हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]**

मैं यह कहना चाहता हूँ कि परसों की एक सार्वजनिक सभा में जो मैंने 1947 का जिक्र किया था, कल जब किसी एक पत्रकार ने उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया कि आडवाणी ने पोर्ट ब्लेयर में गुजरात की तुलना 1947 से की, तो मुझे थोड़ी चिंता हुई । मुझे लगा This is one more instance where selective reporting can distort the overall conception. मैंने बहुत कुछ कहा था उस भाषण में, लेकिन मैंने यह कहा कि हिन्दुस्तान में इन पिछले 55 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ट्रैन को रोककर उसमें जाने वाले यात्रियों को काटकर उनकी लाशें इस प्रकार से भेजी जाएं, इससे मुझे 1947 का स्मरण आया । Otherwise, I regard the Godhra incident and the incidents in Ahmedabad, Baroda and Mehasana equally bad, equally reprehensible. उसमें फर्क नहीं है । अलबत्ता मैं तो यह कहता हूँ कि गुजरात के जो अपराधी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, कोई सिटीजन कार्रवाई करता तो वह कानून के खिलाफ होता । It would have been a violation of the rule of law. लेकिन अहमदाबाद में जो लोग थे, उनकी हत्या करना, वे तो कोई अपराधी नहीं थे, वे तो निरपराध लोग थे, उनके खिलाफ अगर किसी ने हिंसा की तो वह केवल इसलिए की क्योंकि वे किसी एक सम्प्रदाय के थे । This is against civilization. यह तो सभ्यता के खिलाफ है, यह असभ्य आचरण है । प्रतिशोध लेना हर दृष्टि से गलत है । अपराधी के खिलाफ प्रतिशोध लेना तो कानून का उल्लंघन है लेकिन अगर कोई निरपराधी है, उसके खिलाफ प्रतिशोध लिया जाता है तो यह बर्बरतापूर्ण कार्य है, यह तो अनसिविलाइज्ड है...**(व्यवधान)**...

**श्री नीलोत्पल बसु :** आपकी डेफिनेशन में यह टैररिज्म है ...**(व्यवधान)**...

**श्री कपिल सिब्बल (बिहार):** इस पर तो "पोटा" लागू होता है, यह "पोटा" की डेफिनेशन में आता है ...**(व्यवधान)**...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** नीलोत्पल जी, आप सही बात कहते हैं कि कांग्रेस और ये मिल सकते हैं लेकिन आप नहीं मिल सकते, आपकी यह बात तो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

**SHRI NILOTPAL BASU:** I just reminded you of the statement, which you made in this House, that anything against civilisation is terrorism.

SHRI L.K. ADVANI: I thought it my duty to first deal with article 355. 355 के बारे में हमारे ऊपर जो जवाबदारी है, अगर यह प्रस्ताव पारित न होता तो भी हमारी जवाबदारी है और वह जवाबदारी हम निभा रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : सारा देश बोल रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप होम-मिनिस्टर को बोलने दीजिए...(व्यवधान)...

SHRI KAPIL SIBAL: You just tell us whether you are personally satisfied with what the Central Government has done in Gujarat. Look into your heart and tell us, "Are you satisfied?"...(Interruptions)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: The Minister should be allowed to speak...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप बैठ जाइए...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : देखिए यहां पर इसकी काफी चर्चा हुई है और किसी भी बहस में, किसी भी डिबेट में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, Naturally, they try to score debating points, और अगर सरकार के ऊपर आरोप लगता है तो सरकारी पक्ष की ओर से स्वाभाविक रूप से जवाब दिया जाएगा । आप कहते हैं कि वहां पर इतने दिनों से यह सब चल रहा है, जब फलाने की सरकार थी, तब कितने दिन चला था, तब आपने क्या किया था...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY: It is State-sponsored; the Centre has done nothing...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप लोग होम-मिनिस्टर को बोलने दीजिए...(व्यवधान)... He knows how to protect himself...(Interruptions)....आप लोग बैठ जाइए...(व्यवधान)....जीवन राय जी, बैठ जाइए...(व्यवधान)....Jibon Royji, no interruptions, please...(Interruptions)....Let him speak. If you want to seek any clarifications, you can raise them later on...(Interruptions)....Jibon Royji, this is not going to help you...(Interruptions)....This way, it is not going to help anybody...(Interruptions)....If you interrupt, nothing will go on record...(Interruptions)....Only the Home Minister's speech will go on record...(Interruptions)....होम-मिनिस्टर साहब, आप यील्ड नहीं कर रहे हैं तो बोलिए...(व्यवधान)....Please don't interrupt...(Interruptions)....Jibon Royji, if you are going to interrupt like this, then, nothing will go on record.....(Interruptions)....I have said, if anybody interrupts...(Interruptions)....Let the Home Minister complete...(Interruptions)....Nothing is going on

record...(Interruptions)...

SHRI JIBON ROY: \*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : जीवन राय जी, आप मत डिस्टर्ब कीजिए...(व्यवधान)...होम-मिनिस्टर साहब, बोलिए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : अभी नहीं । अगर वह यील्ड नहीं करते हैं तो आप अभी नहीं बोल सकतीं ...(व्यवधान)... क्या आप यील्ड कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : वे यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... Let the Home Minister complete ...(Interruptions)... आप सुन नहीं रही हैं, आप बैठ जाइए। This will not go on record. होम-मिनिस्टर साहब, बोलिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, इन सदस्यों को ज्यादा अच्छी तरह से जानने वाले तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप चेयर को अट्रैस कीजिए, आप उधर देखते हैं तो वे आपके ऊपर...(व्यवधान)... Mr. Jibon Roy, please sit down ...(Interruptions)... Nothing will go on record. Only the Home Minister's speech will go on record. ...(Interruptions)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)... Let the Home Minister complete. ...(Interruptions)... Please, let the Home Minister complete.

आप बोलते हैं फिर रिएक्शन होता है...(व्यवधान)... प्लीज बैठ जाइए, जीवन राय जी बैठ जाइए...(व्यवधान)... होम मिनिस्टर को बोलने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यह समझाने की कोशिश की कि उस सदन में भी हम सर्वसम्मत् प्रस्ताव चाहते थे। मुझे खुशी है कि इस सदन में सर्वसम्मत् प्रस्ताव हो रहा है। इसका कारण यह है कि गुजरात की घटनाएँ स्वयं में बहुत दुःखदायक हैं, बहुत निंदनीय हैं, बहुत शर्म की बात है।...(व्यवधान)... लेकिन जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही, वह महत्वपूर्ण है। गुजरात की घटनाओं के कारण विश्व में जो इसकी चर्चा हुई है, वह किसी को भी खुशी नहीं दे सकती। हर एक भारतवासी को लगता है कि यह क्यों चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं होनी चाहिए।

\* Not recorded.

उनका यह कहना सही था कि उनको यह अधिकार नहीं है इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने का। लेकिन करते हैं और उससे भी बढ़ करके मैं मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि गुजरात में जब मैं गया था तब भी मैंने गुजरात के सब निवासियों को कहा कि हिन्दू हो या मुसलमान हो इस बात को समझना चाहिए कि पिछले सालों में लगातार प्रयत्न करने के बाद आतंकवाद के इश्यू पर हम पाकिस्तान को विश्व जनमत के आगे उजागर कर पाए हैं और कॉर्नर हो गए हैं और इन गुजरात की घटनाओं ने चाहे किसी ने भी की हों, हिन्दू हो या मुसलमान हों, उन घटनाओं ने एक प्रकार का उनको अवसर दिया है उस कॉर्नर में से निकलने का और इसीलिए हमारी जवाबदारी है कि स्थिति को खत्म करें और बंद करें। मैंने इस बात पर बल दिया क्योंकि टेरोरिज्म के खिलाफ लगातार यह देश लड़ाई लड़ता रहा है और उसमें धीरे-धीरे करके सफलता पाता जा रहा है। जहां तक मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे टेम्पोरैरिली इसके कारण पाकिस्तान को खुशी हुई हो लेकिन यह खुशी चलेगी नहीं और उनके इस आतंकवादी युद्ध के ऊपर निश्चित रूप से भारत विजय पाएगा। अलबत्ता इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए।...(व्यवधान)... बोलिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक गोधरा की घटना का सवाल है, उसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन मैं यह संदन को बतला सकता हूँ डिटेल्स दिए बिना कि गोधरा और अहमदाबाद की घटनाओं के बाद से लेकर के ऐसे कई इंटरसेप्ट सरकार ने देखे हैं जिसमें सीमा के उस पार से इस ओर जम्मू कश्मीर में काम करने वाले जो आतंकवादी संगठन हैं उनको कहा गया है कि तुम उनको आर्थिक सहायता दीजिए, आप इनको और प्रोत्साहन दीजिए कि यह गुजरात की स्थिति आगे बढ़ती रहे। यह इंटरसेप्ट हमने देखे हैं और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनकी रुचि, उनकी दिलचस्पी आज भी कायम है और हम में से जो भी स्थिति को आगे बढ़ाता है वह एक प्रकार से उनकी सहायता करता है। वह नहीं होना चाहिए। श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छा भाषण किया और उसमें मुझे यह बात खास अच्छी लगी कि पीस मार्च अहमदाबाद, बड़ीदा में करने के बजाय संसद में करना चाहिए। श्री अहमद पटेल जी ने एक जिक्र किया था, मुझे जानकारी नहीं थी, चूंकि आपने जिक्र किया है, इसलिए मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा। आपने बताया कि कोई एक महिला थी जो ट्रेन में थी, जो ट्रेन गोधरा से गुजरी थी और यह कांड हुआ था और उस महिला ने बताया कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल जिसके हाथ में बंदूक थी, उससे कहा कि तुम फायर करो, हवा में फायर करो तो कुछ प्रभाव हो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने बात कही है इसलिए मैं इस बात की जरूर जानकारी करूंगा। मुझे उस महिला का नाम भी बता दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यह धारणा ठीक नहीं है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की। क्योंकि दो लोग वहां पर मारे गये, घटना के थोड़े ही समय बाद वहां पर दो लोग मारे गये। इसलिए यह कहना कि वहां पर पुलिस ने बिल्कुल कार्यवाही नहीं की, यह सही नहीं है।...(व्यवधान)...

**श्री अहमद पटेल :** हादसा हो जाने के बाद।...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** आप बैठिये। आप बैठिये।...(व्यवधान)...

**SHRI L.K. ADVANI:** He said, "I will find out the details."

...(Interruptions)...But he did take cognisance of this ...*(Interruptions)*... उन्होंने इस बात का कागजीजेंस लिया है।...*(व्यवधान)*... शबाना जी यहां पर नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कुछ पम्फलेट्स के आधार पर कहा कि इस-इस प्रकार के पम्फलेट्स वहां पर बंटे हैं, बंट रहे हैं कि कोई मुसलमान से खरीददारी न करे, कोई यह न करे, कोई वह न करे। अध्यक्ष जी, ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, अच्छा किया क्योंकि वे अनसाइंड थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के पम्फलेट्स कोई भी छपते हैं, चाहे वह साइंड हों या अनसाइंड हों, यह सरकार उसकी निन्दा करना चाहती है और कहना चाहती है कि यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इस दृष्टिकोण को कोई भी सरकार समर्थन नहीं दे सकती है।...*(व्यवधान)*...

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): There are even signed pamphlets. ...*(Interruptions)*...

**श्री नीलोत्पल बसु :** आज अशोक सिंहल जी की स्टेटमेंट आई है। आज अशोक सिंहल जी का स्टेटमेंट सभी पेपर्स ने छापा है। आप इसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे? ...*(व्यवधान)*...

Shri Ashok Singhal's statement has been published today. What steps are you going to take?

SHRI L.K. ADVANI: Let me say categorically that whosoever says anything of this kind, the Government strongly condemns it and disassociate itself from it. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: There is a statement from Shri Ashok Singhal, the President of the VHP. Will you arrest him? ...*(Interruptions)*... This is what he has said. ...*(Interruptions)*...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** जो भी एक्शनेबल होगा, एक्शन लिया जायेगा।...*(व्यवधान)*... जो भी काम एक्शनेबल होगा, उस पर एक्शन लिया जायेगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।...*(व्यवधान)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, we want the Home Minister to tell the Parliament what action he has taken. ...*(Interruptions)*... He should not preach sermons here. He should tell us about the action the Government has taken. ...*(Interruptions)*...

**श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश):** अशोक सिंहल जी हिन्दुत्व...*(व्यवधान)*... सिंहल जी गुजरात के दंगों को हिन्दुत्व की जागृति बता रहे हैं।...*(व्यवधान)*...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** आप सब लोग एक साथ बोलते हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आता है। अगर आप एक-एक कर बोलेंगे तो सबकी समझ में आयेगा। आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।...*(व्यवधान)*...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैंने जो कुछ कहा...*(व्यवधान)*... मैंने जो कुछ कहा, फिर

उसको रिपीट किया है। मैं समझता हूँ कि गोधरा में जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कोई प्रतिशोध लेता है तो वह कानून के खिलाफ होगा, वह तो रूल आफ लॉ का उल्लंघन होता, लेकिन जो कुछ अहमदाबाद में हुआ है वह तो सभ्यता के खिलाफ है।...**(व्यवधान)**...

**श्री नीलोत्पल बसु** : अशोक सिंहल जी ने कहा है कि यह तो हिन्दुत्व की जागृति है।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)** : एक मिनट, एक मिनट। आपको भी पूछने को मौका दिया जायेगा।...**(व्यवधान)**...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, मैं इसका पता लगाऊंगा।...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है या नहीं दिया है इसका मैं पता लगाऊंगा। मैं विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूँ कि यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने ऐसा उत्तेजक बयान दिया है तो क्या सदन में यह आश्वासन मंत्री जी देंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उन्हें गिरफ्तार करवायेंगे?...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)** : आप बैठ जाइये।

**श्री सुरेश पचौरी** : चाहे वह हिन्दू कट्टरपंथी हो या चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो। जो इस प्रकार का उत्तेजक बयान देता है, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : सुरेश पचौरी जी, जिस चीज को मैंने यह कहा कि वह मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी। उसको भी कहा कि वह सबसे खुशी की घटना थी।...**(व्यवधान)**... उस पर उन्होंने कहा कि आडवाणी ने कहा कि मेरे लिए छह दिसम्बर की घटना खुशी की बात थी।...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रूल 24 का मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्योंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि...**(व्यवधान)**...

**श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड)** : पहले नोटिस दिया हुआ है।...**(व्यवधान)**... चेयरमैन को आलरेडी नोटिस दिया हुआ है, आलरेडी। पहले वह तो डिसपोजऑफ हो। It is pending before the Chairman...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)** : आप बोलिए, आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

**श्री सुरेश पचौरी** : महोदय, मेरे नाम का उल्लेख करते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि जिस चीज को उन्होंने सैंडिस्ट डे कहा था, मैंने उसको हैपीऐस्ट डे बताया। मैं ऑर्थेंटिकेट करके उस एन.डी.टी.वी. की न्यूज़ को इस सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ। न केवल एन.डी.टी.वी.की न्यूज़ बल्कि पायोनीयर जो इनका पेपर है, उसमें भी है कि...**(व्यवधान)**... यह उनका हैपीऐस्ट डे था और मैं फिर उसको उद्धृत कर रहा हूँ।...**(व्यवधान)**... लिब्राहन्स कमीशन में जो उन्होंने बयान दिया और बयान देने के बाद जो उनके वकील ने कहा

और उसको एक पेपर नहीं, हिन्दुस्तान के सारे पेपरों ने जून 2001 को छापा है ।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)** : उनका नाम लिया है, इसलिए उनको अथॉरिटी है । आप बोलने दीजिए ।...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : यह जो 30 अक्टूबर 1990 का दिन था, वह उनका हैपीएस्ट डे था ।...**(व्यवधान)**...

**श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**(उत्तर प्रदेश): महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या भाषण हो रहा है ।

**श्री सुरेश पचौरी** : मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का हकदार हूँ क्योंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है ।

**श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"** : सर, चल रहा है, । यह व्यवस्था का प्रश्न है । बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, भाषण दिया जा रहा है ।...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : इस प्रकार के प्रीसीडेंट इस सदन में 1989, 1991 में भी हुए हैं कि जब किसी सदस्य के नाम का उल्लेख किया गया है तो उस सदस्य का अधिकार है कि वह उसको क्लैरीफाई करे ।...**(व्यवधान)**... आप उन पेपर्स को नोटिस दे दीजिए अगर गलत कहा है ।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं किसी को नोटिस नहीं देता हूँ । सदन में कोई खड़ा होकर एक अखबार को ज्यादा महत्व दे जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने मेरा साइन्ड आर्टीकल छापा है ।

**श्री सुरेश पचौरी** : एक नहीं, सारे अखबारों ने इस प्रकार...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया)**: आपने अपनी बात कह दी है, अब चुप रहिए ।...**(व्यवधान)**...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इस प्रकार की बहस के कारण ही - जहाँ पर बहस में इस प्रकार की बातें कही गयीं, जो बे बुनियाद हैं । फिर यहाँ पर एक विपक्ष के - प्रमुख विपक्षी दल के एक प्रमुख सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैंने अखबार में उनका बयान पढ़ा कि प्रधान मंत्री को पोटा में गिरफ्तार करना चाहिए । इस प्रकार का बयान भी पढ़ा । इस प्रकार के बयान देकर क्या हम सोचते हैं कि गुजरात में शांति आ जाएगी ? हाँ, आज प्रधान मंत्री जी ने स्वयं ने बताया कि अगर हम इस बात पर यकीन करते कि केवल मात्र चेंज ऑफ लीडरशिप वहाँ पर शांति ले आएगा तो शायद हम ऐसा करते लेकिन हमें लगा कि यह कोई सॉल्यूशन नहीं है । आज तक किसी दंगे में कभी ऐसा हुआ कि दंगा चल रहा है और उस दंगे में आप कहें कि उसे हटाओ तो शांति हो जाएगी । पहले कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और हमने कभी भी उसको एक ईशू नहीं बनाया । जिस प्रकार का एक सस्टेन्ड कैपेन विपक्ष ने चलाने की कोशिश की है । इसलिए हमने कहा कि 355 के अधीन जो हमारी रिसर्पांसीबिलिटी है, जो केन्द्र की रिसर्पांसीबिलिटी है, उसको पूर्णतः कार्यान्वित करेंगे । उसके साथ साथ आज ही मेरी माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि अच्छा हाँगा कि उनका जो कुछ दिन पहले प्रस्ताव था कि वहाँ के जो विभिन्न संगठन हैं, मुसलमानों के संगठन और

हिन्दुओं के संगठन, उनके बीच में वह वार्तालाप करवाएंगे। उन्होंने कहा, मैं थोड़े ही दिनों में करवाने वाला हूँ। सारा मामला चल रहा है। अभी मेरी मुस्लिम संगठनों से बातचीत हो रही है। एन.एच.आर.सी. के साथ लॉ मिनिस्टर की चर्चा हुई है, इंटरैक्शन हो रहा है और जो भी कार्यवाही उसके अनुसार करनी होगी, वह करेंगे। जहां पर कठोरता बरतने की जरूरत होगी, कठोरता बरतेंगे और जहां पर रिलीफ ऐंड रीहैबिलिटेशन के मामले में उसका समुचित प्रबंध हो, उसका भी प्रबंध किया जाएगा। A unanimous Resolution of the House, under article 355 of the Constitution, will cast a duty on us which we are certainly going to discharge to the best of our ability. इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया):** खाली एक मिनट के लिए ओबैदुल्ला खान आजमी साहब बोलेंगे।...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेन्द्र मोहन :** फिर हम भी बोलेंगे।...**(व्यवधान)**...

**मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** मुझे चेयर ने इजाजत दी है।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया):** आप लोग बैठ जाइए। मेरी बात तो सुनिए। होम मिनिस्टर साहब, एक मिनट रुकिए।...**(व्यवधान)**...

**मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** नहीं बोलने देंगे? हमारा अधिकार छीन लेंगे? चेयर ने बोलने की इजाजत दी है और नहीं बोलने देंगे?...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** एक मिनट बैठ जाइए. आप लोग।...**(व्यवधान)**...

**श्री दीपांकर मुखर्जी :** प्रधान मंत्री जी, देखिए, अहलुवालिया जी वेल में आ गए हैं।...**(व्यवधान)**... सर, ये वेल में आ गए हैं।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** अर्जुन सिंह जी, बोलिए।...**(व्यवधान)**...

**मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** सर, इजाजत हो तो मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए।...**(व्यवधान)**...

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA):** Nothing will go on record. If he speaks without permission, then nothing will go on record. अब लीडर ऑफ दि अपोजिशन बोलेंगे।...**(व्यवधान)**... आजमी जी, आप चुप रहिए, आपके लीडर बोलेंगे, आप बैठिए। अर्जुन सिंह जी, एक मिनट...अभी लीडर ऑफ दि अपोजिशन बोलेंगे।...**(व्यवधान)**...

**DR. MANMOHAN SINGH:** Mr. Vice-Chairman, Sir, I had requested the hon. Home Minister to clarify certain basic issues. The most important issue which is agitating the minds of the people in Gujarat and elsewhere in the country is the gross communalisation of the police force in Gujarat. All over the world, people have seen the Police Commissioner of Ahmedabad



saying, "I am helpless because the policemen have also their prejudices and their feelings." Also, on the 23<sup>rd</sup> of April, the Police Commissioner's Office was raided by a mob of about 5000 people. This Police Commissioner sat in his office. How can a Police Commissioner who cannot defend his integrity in his office, give protection to the people in Ahmedabad and elsewhere? Therefore, we would like to hear from the Home Minister what he is planning to de-communalise the police force. There are thousands of Bajrang Dal workers who are members of the Home Guards and those police officers who try to restrain them such as in Kutch District, have been penalised. We want an explicit assurance from the Home Minister that he will ensure that this sort of communalisation of police force is given up.

**श्री जनेश्वर मिश्र :** सर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** अभी डिबेट चालू नहीं होगी । केवल होम मिनिस्टर बोलेंगे, अभी रुक जाइए । पहले इनको बोलने दीजिए ।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** विपक्ष के नेता ने कुछ बातें कही हैं । मुझे लगता है कि इस प्रकार से गुजरात पुलिस का स्वीपिंग कंडेम्नशन करना उचित नहीं है । कमियां रही हैं, मैं स्वयं जानता हूँ और मेरे साथी अरुण जी लगातार वहां पर इंटरव्यू कर रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं । उसमें कमियां हमारे ध्यान में आई हैं और यदि कुछ और सीरियस कमियां होंगी तो निश्चित रूप से जो इनक्वायरी कमीशन इस समय बैठा हुआ है, वह इस पर ध्यान देगा लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहां की पुलिस कम्युनल है । होती तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिसमें उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को बचाया है, उनकी रक्षा की है । यहां पर इस समय उस सदन के नेता हैं मार्क्सवादी पार्टी के जिन्होंने मुझे भावनगर के बारे में कहा था । मैं स्वयं भावनगर गया था और वहां के मदरसे के लोगों ने, बच्चों ने और वहां के मौलवियों ने आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया कि यहां की पुलिस ने किस प्रकार से हमारी रक्षा की। ...**(व्यवधान)**...

**श्री अहमद पटेल :** उसी अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया ? ऐक्शन उलटा हो रहा है ?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** देखिए, चार सौ ट्रांसफर हुए, वे मार्च-अप्रैल में होते हैं, प्रमोशनल ट्रांसफर्स होते हैं और प्लीज । plead with you...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) :** बैठ जाइए । जीवन राय जी, आप सभी खड़े होंगे तो कैसे काम चलेगा ?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अगर कोई भयानक दंगे जैसी स्थिति को रोकना चाहता है तो I would plead with you not to make sweeping allegations against the police. ...**(Interruptions)**...

**श्री जीवन राय :** कोर्ट की जांच से विचार होगा या नहीं ? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Nobody else will speak. ...*(Interruptions)*... Only Shri Arjun Singh will speak. अभी कुछ नहीं, अर्जुन सिंह जी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, आप अर्जुन सिंह जी को बोलने दीजिए, प्लीज, बिना परमिशन जो भी बोलेगा ...*(व्यवधान)*... दिस विल नॉट गो इन रिकार्ड, नथिंग विल गो इन रिकार्ड एक्सेप्ट अर्जुन सिंह जी ...*(व्यवधान)*... अभी कुछ नहीं, अर्जुन सिंह जी बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*... डा. साहब, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, अर्जुन सिंह जी ।

**श्री अर्जुन सिंह** (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सत्रह घंटे की बहस के बाद सभी आदरणीय सदस्यों की भावनाओं के व्यक्त होने के बाद हमने यहां आदरणीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे कि उनका भाषण शब्दों में तो धनी था लेकिन भावनाओं में नहीं था...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप लोग भी चुप रहिए, बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*...

**श्री अर्जुन सिंह** : जहां तक कर्मों का सवाल है तो कर्मों का लेखा-जोखा तो बहुत बाद में होता है । मैं यह नहीं कहता कि मेरा उतना अनुभव है जितना माननीय वाजपेयी जी का है लेकिन पैंतालीस वर्षों से मैं भी राजनीति में हूँ ।

[माननीय सभापति जी पीठासीन हुए]

यह बात अलग है वाजपेयी जी रेखा के उस पार थे और मैं उस रेखा के दूसरी तरफ था । अगर वर्षों की तुलना करनी है, मैं स्वयं को उसकी वजह से सपने को विशेष नहीं मानता हूँ, यह तो एक संयोग भी हो सकता है । आज जो बहस हो रही है उस बहस की जड़ें केवल सत्ताइस फरवरी से शुरू नहीं होती हैं । मुझे यह कहने पर विवश नहीं होना पड़ता बल्कि मेरा कर्त्तव्य है । माननीय सभापति महोदय, यह बहस उन विचारधाराओं की बहस है जिस विचारधारा ने इस देश में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जन्म दिया । इस सदन से मुश्किल से दो-तीन किलोमीटर दूर वह स्थान है, बिरला भवन में, जिस स्थान पर बापू की हत्या की गई थी...*(व्यवधान)*...

**कुछ माननीय सदस्य** : हे राम, हे राम ।

**श्री अर्जुन सिंह** : चलिए आपके मुंह से किसी बहाने से राम तो निकला । भारत के सबसे बड़े रामभक्त की हत्या होते समय, उस वक्त हे राम नहीं निकला था । माननीय वाजपेयी जी, मैं यह नहीं कहता कि आज आप प्रधानमंत्री हैं और मैं इस सदन का साधारण सदस्य हूँ, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस देश में हम लोगों ने अपने आंखों से जो कुछ देखा है, सुना है, हम उसे पूरी तरह से भूल जाएं । आखिर पिछले पचास-पचपन वर्षों में भारत में जो कुछ हुआ है, वह कोई सपना नहीं है, यथार्थ है और उन घटनाओं में जो कुछ भी हुआ, जिसके द्वारा भी किया गया वे हमारे इतिहास का एक अंग बन गए हैं । मैं उसकी वजह से किसी के ऊपर दोष नहीं डालता हूँ लेकिन अगर आप यह सोचें कि उन 50-55 वर्ष की घटनाओं पर पटाक्षेप कर दिया जाए और कल से नयी बात शुरू कर दी जाए तो यह संभव नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई भी विचारशील व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा । अब किस बात की नाराजगी है? कि मैं कई दशक

पीछे चला गया। मैं दशकों पीछे किसी को ढूँढ़ने नहीं गया। मैंने तो केवल एक उल्लेख किया था कि नस्लवाद के आधार पर एक संघर्ष दुनिया के ऊपर लादा गया और उस सिलसिले में मैंने एक पुस्तक का उद्धरण दिया था, जिसे, कहते हैं, प्रधान मंत्री जी ने वापस ले लिया है। लेकिन वह उद्धरण तो है और वह उद्धरण ऐसे-वैसे किसी व्यक्ति का नहीं है, गोलवलकर जी का है, जिन्होंने उस नस्लवाद की लड़ाई का समर्थन किया और भारत के लिए उपयोगी है, लाभ हैं, इस बात का जिक्र किया। मैंने उसका जिक्र किया था। अब जब उन्होंने इसको वापस ही ले लिया तो फिर अब मैं जानता नहीं कि किस आधार पर...(व्यवधान)... अब मुझे बोलने दीजिए मैं टाइम नहीं दूंगा...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** बोलने दीजिए। आप उन्हें क्यों रोकते हैं।

**श्री अर्जुन सिंह :** मैं यह मानकर चलता हूँ चूंकि वह श्री गोलवलकर जी का कथन था इसलिए, तथा इस देश में और कोई इस बात के लायक नहीं है सिवाय वाजपेयी जी के जो उसको वापस ले सके। उन्होंने वापस लिया, इसके लिए उन्हें साधुवाद।

माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)... असली बात यह है जो समूचे विषय की जड़ में है कि इस देश की राजनीति को एक साम्प्रदायिक रंग देने का एक दल विशेष का, विशेष प्रयास रहा है। और राजनीतिक दल का होता तो भी मैं मान लेता कि आखिर उस राजनीतिक दल को किसी वक्त जनमत की कसीटी पर जाकर उस सिद्धांत को अपना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा और जनमत उस पर लिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य-यह है और दिक्कत भी है कि यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी का उतना नहीं है जितना इनको संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। माननीय वाजपेयी जी ने एक बहुत ही अच्छा नुस्खा निकाल लिया है अपनी सरकार को कायम रखने के लिए। वे बघाई के पात्र हैं कि सरकार बनाने के लिए एनडीए, अपने मन मुताबिक काम करने के लिए आरएसएस और जब कहीं विरोधाभास पैदा हो जाए...(व्यवधान)...

**श्री संघ प्रिय गौतम :** और सरकार चलाने के लिए कांग्रेस।

**श्री अर्जुन सिंह :** सरकार चलाने के लिए मैं किनको...(व्यवधान)... माननीय गौतम जी को मैं सदन के बाहर धन्यवाद दूंगा, यहां नहीं।

तो मुश्किल यह है आदरणीय सभापति महोदय कि समूचे भारत में जिस रथ पर सवार होकर एक यात्रा की गयी थी जिसको उस वक्त समाचार पत्रों ने चैरिएट आफ फायर कहा, उस महारथी को आज कुछ कान्शंस के पैग्स, जिनको कहते हैं, वे हो रहे हैं। वे सही नहीं हैं। कोई भ्रम में न पड़े। आज चूंकि परिस्थिति ऐसी विषम पड़ गयी है कि जो वालावरण बन रहा है अगर उसमें बचाव की स्थिति नहीं बनायी जाएगी तो शायद इनका यह ढांचा ही चरमराकर बैठ जाएगा। इसलिए यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। सवाल यह है कि हम इन लोगों पर कब तक भरोसा करें। सरकार को चलाने की कला अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सरकार इस संविधान के तहत जो मापदंड और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार चल रही है, इसके लिए कोई दूसरा ही मापदंड बनेगा।...(व्यवधान)... यह आज एक सर्वमान्य बात है, सारे भारत में लोगों ने कहा है, अकेले दो-चार लोग कहें तो बात भी बनती है कि इस संविधान को उस प्रकार से अक्षुण्ण बनाए रख कर जैसे कि संभावना और मावना सब की होनी चाहिए आज गुजरात के संदर्भ में

इसका पूरा उत्त्लंघन किया गया है और यह बात वाजपेयी जी स्वीकार करना चाहें, न करना चाहें, यह उनकी मर्जी, लेकिन यह देश निश्चय ही इस पर अपना फैसला, आज दे, कल दे, हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है । हम आपकी सरकार को हटा कर शासन में नहीं आना चाहते...(व्यवधान)...

**श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार):** आ भी नहीं सकते ।...(व्यवधान)...

**श्री अर्जुन सिंह :** नहीं आना चाहते, लेकिन इस देश की जनता, आपको यह कोई भ्रम और भय...(व्यवधान).... इस मामले पर आप भय में मुक्त रहिए, यह इन लोगों का इरादा है आपको डरा कर आपसे काम करवाने के लिए, हम लोग नहीं चाहते । लेकिन किसी न किसी दिन तो भारत का जनमत इसका फैसला करेगा और जिस दिन भी भारत का जनमत फैसला करेगा हम उस जनता के सामने जायेंगे और यह आरोप लगायेंगे कि संविधान में प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं उनका इस सरकार ने उपयोग नहीं किया और भारत के इन मूल्यों की रक्षा नहीं की और फिर उनका फैसला होगा, जो कुछ कहना चाहेंगे, कहेंगे । रही गुजरात में जो कुछ हुआ इस बहस में भाग लेते हुए सब से तगड़ा भाषण हमारे माननीय श्री अरुण जेटली का हुआ । मैं चाहूँ भी तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि सदन को भी इस बात का भ्रम हो गया कि वह किसी तरफ से बोल रहे हैं, उनके पास किसका ब्रीफ है, मोदी जी का ब्रीफ है, आडवाणी जी का ब्रीफ है, आरएसएस का ब्रीफ है...(व्यवधान)...

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश):** तथ्यों का ब्रीफ था ।

**श्री अर्जुन सिंह :** तथ्यों के ऊपर तो मैं आ ही रहा हूँ । ऐसी हालत में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ । इस देश के एक समाचार-पत्र की टिप्पणी है...(व्यवधान)...

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल :** अर्जुन सिंह जी, एक मिनट ।

**श्री अर्जुन सिंह :** बिल्कुल नहीं ।...(व्यवधान).... माननीय सभापति महोदय, श्री अरुण जेटली जी ने कहा "I regret to say that at times, we all develop a tendency, we believe facts which may not be accurate, and we raise a rhetoric". इसके परिप्रेक्ष्य में ही यह फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ, जो समाचार-पत्रों में छपा है ।

As many as, 37,545 people have been arrested, 14,144 arrests have been made, against whom specific criminal charges have been framed.

इस समाचार-पत्र के मुताबिक यथार्थ क्या है,

A total of 24,884 preventive arrests were made, and all have been released. 15,608 'crime arrests' (picked from the scene of crime), have been made. No chargesheet has been filed till date.

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल :** समाचार-पत्र सत्य है ।

**श्री अर्जुन सिंह :** नहीं, बाकी सब असत्य है ।...(व्यवधान)...

माननीय समापति महोदय, यह जेटली जी का कथन है,

Till 18<sup>th</sup> April, the number of majority community people killed in police firing was much larger.

समाचार-पत्र ने जो लिखा है :

The Gujarat State Intelligence Bureau figures available with the *Indian Express* confirm that 91 of the 167 killed in police firing were Muslims. दूसरा फैक्ट है "In Ahmedabad city, Muslims make 65 per cent of the police firing deaths. The division for those injured by police bullets is 226 Muslims, 138 Hindus. तीसरा तथ्य है "Even when attackers were Hindu and targets were Muslim, it was Muslims who ended up dominating the police causality list. In the first three days after the Godhra attack, over 400 Muslims were killed, 179 in Ahmedabad alone. On these days, in police firing, the number of Muslims killed was 42 while 7 Hindus died." चौथा है, "The worst massacre took place in Naroda-Patia (91 killed), Chamanpura (38), Best Bakery (Vadodara). Except Chamanpura, in none of these cases was there any police firing." "Instead, on the same three days, in Gomtipur, Bapunagar and Rakhial, all Hindu-dominated neighbourhoods, where Muslims were under attack, 40 were killed in firing. All were Muslims. The police later claimed some of them were killed in 'private firing'." "... Complaint of a lady rape was registered and action taken. Therefore, to say that police is not registering FIRs, perhaps may not be accurate." अरुण जी ने कहा; समाचार पत्र के मुताबिक Fact : "In Ahmedabad, no record in any police station of FIRs on rape, sexual abuse." इस का विवेचन और पता तो हमारे गृह मंत्री लगा ही लेंगे, लेकिन...(Interruptions)...

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the hon. Member has named me, on the basis of a newspaper report. I do not know whether he is authenticating what the newspaper has said, but since three facts that I had mentioned have been contested in the newspaper report, I think it is my responsibility and my right to make a statement, as he seems to be endorsing what the newspaper appears to have said. Sir, there are three facts. ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No; no, you cannot. ... (Interruptions)...

THE MINISTER OF DISINVESTMENT AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI ARUN SHOURIE): Shri Suresh Pachouriji was just allowed, and that may be ... (Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, most respectfully, I am raising a procedural point. The procedural point is, this is the fag end of the debate. It is the right of the mover of the Motion ...

MR. CHAIRMAN: That is right.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: ... to reply to what has been said in the course of the discussion. Mr. Jaitley mentioned certain figures; it may be right; it may be wrong; it is on the record. Now, Mr. Arjun Singh is refuting it. Mr. Jaitley cannot say that 'he will refute those points of view.' ...*(Interruptions)*... In that case, there will be no end to the debate.

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Suresh Pachouri was just now allowed to contradict what the hon. Home Minister had said. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There is no procedure that you can intervene ...*(Interruptions)*... at the end of the debate when the mover of the Motion is replying to the debate. Where is the scope for expanding the debate? ...*(Interruptions)*... It cannot be done. ...*(Interruptions)*... It is not a personal explanation. There is no personal aspersion. ...*(Interruptions)*... It is a procedural matter. It cannot go on like this. ...*(Interruptions)*... It cannot go on like this. The debate must come to an end. And only the mover of the Motion is entitled to speak. Nobody else can speak. ...*(Interruptions)*... Nobody else can speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री अर्जुन सिंह : माननीय समापति जी. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You carry on. He cannot speak. ...*(Interruptions)*...

श्री अर्जुन सिंह : माननीय समापति जी...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am claiming a right. Since he has named me, he has contradicted ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No; no, he cannot speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: ... what I had said, on the basis of a newspaper report, I have a right of personal explanation. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, in that case, every Member will have a right to make his speech again...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Since he has not authenticated it ...*(Interruptions)*... A few minutes ago, Mr. Suresh Pachouri was given the same right by the Chair. The Chair gave the same right to Mr. Suresh Pachouri a few minutes ago when the Home Minister was speaking. Here, Shri Arjun Singh is contradicting...*(Interruptions)*... I have a right of personal explanation. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It cannot go on like this. You cannot allow him. You should not allow him. Under which rule, you are allowing him? Please explain. He cannot be allowed. It is not a personal explanation. ...*(Interruptions)*... It is not a personal explanation. ...*(Interruptions)*... Only under rule 241, he can speak on personal explanation. Because he is justifying what he had stated, it is not a personal explanation. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I agree, it is not a personal explanation, but he can speak, if the hon. Member, Shri Arjun Singhji, allows him. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, Sir, he has not allowed. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, he cannot refer to me. ...*(Interruptions)*... I am sorry, Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: How can it be like that? In that case, there will be no end to the debate...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He has not allowed him. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The question is, he is speaking, ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: He has not allowed him. He is not allowing him. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If he is yielding ... he is giving him a chance. ...*(Interruptions)*...

श्री अर्जुन सिंह : समापति महोदय, मैं इस मामले में जो कुछ बोलना चाहता हूँ, उसमें अपनी ओर से कोई विराम नहीं देना चाहता । ...*(व्यवधान)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I may be permitted to make a personal explanation under Rule 241. Sir, an issue has been raised...*(Interruptions)*...

**2.00 P.M.**

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, two persons cannot have the floor. Only one person can have the floor. My point is that you have told the mover of the Motion to speak. Only he can have the floor. Mr. Jaitley cannot have the floor. It is improper for Mr. Jaitley to intervene at this stage. Procedures do not allow Mr. Jaitley to speak at this stage of the debate. We are entering into the last stage of the debate, where only the mover of the Motion can only speak. Nobody else can speak.

MR. CHAIRMAN: If he yields, he can speak.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No. The mover of the Motion is standing. He is not yielding. Somebody cannot simply get up and say I would like to reiterate what I have said earlier.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, Mr. Arjun Singh relied on the newspaper reports that indicate that I have stated, which I have not actually stated. *...(Interruptions)...* I have a right to reply.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: He has no right to speak.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I may be permitted.

MR. CHAIRMAN: Is it a personal explanation?

SHRI ARUN JAITLEY: Yes, Sir. I have been accused of having said something, which I have not said. It is a personal explanation.

MR. CHAIRMAN: He says it is a personal explanation.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, he cannot give a personal explanation. If he wants to give a personal explanation, he will have to give a notice under Rule 241. You will consider it and after that you will allow him. It is only then he will clarify the position. It cannot be done at this stage. That will come later on. It is not at this stage when the mover of the Motion is speaking. If he wants to make a personal explanation, he can do so after this matter has been disposed of. Then only you can allow him to give personal explanation, not at this stage. Let him complete his speech. It cannot be done now. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There is a point of clarification, which Mr. Jaitley wants to make. You have said something about him, which you have read from a newspaper. So, he may mention briefly, not go into detail, to explain his version so that the whole thing can be clarified.



SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, if you give a specific ruling, we will abide by it. But you will have to give a specific ruling that at this stage of the debate you are allowing a Member to make a personal explanation, which is not permissible at this stage. My most respectful submission is when a Motion is being discussed under Rule 170, when the mover of the Motion is replying to the debate, at that point of time no personal explanation can be permitted. Personal explanations can be permitted after this business has been disposed of. Only then a Member can give the personal explanation, not at this stage. This is my humble submission.

MR. CHAIRMAN: Have you authenticated it?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, he is authenticating it:

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, is he authenticating the facts, or, what has appeared in the newspaper. If he is authenticating the facts, then I will be entitled to give my explanation.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Under what rule should he speak? Let him say under what rule he can speak...*(Interruptions)*... Rule 241 will apply only after the Motion is over. He cannot speak at this stage.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, may I read out the rule? Rule 242 (2) says, "Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Chairman." Therefore, the reply is being given. Except otherwise provided in the rules, I cannot speak without the permission of the Chair. If you go back to rule 241, since a specific allegation has been made...

SHRI ARJUN SINGH: No allegation.

SHRI ARUN JAITLEY: A Member may with the permission of the Chair make a personal explanation though there is no question before the Council. ...*(Interruptions)*... But, in this case. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is the interpretation of rule 241. If you read rule 241, it says, "A member may with the permission of the Chairman make a personal explanation although there is no question before the Council." Thus, at this moment, there is a question before the Council. The question before the Council is that the mover of the Motion is replying to the debate. The House is not in a vacuum. When there will be a

vaccum, no question before the House will be there under rule 241. Sir, with your permission, a member can make a personal explanation. At this point of time, there is no scope for a personal explanation.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, is the hon. Member saying that if any charge is made in the course of the reply, the Member against whom it is made is helpless? Is it going to be the ruling. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Rule 241 clearly says that an explanation can come when the normal business of the House is over although there is no question before the Council. Now, here is a question before the Council. The Council is discussing the Motion under rule 170. If he wants to give a personal explanation, he is entitled to have it. He will give you a due notice and, after you permit him at any point of time, he can make that personal explanation. At this stage, he has no right to make a personal explanation.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, may I say this? My friend, Mr. Mukherjee, did not make this objection when 20 minutes ago, a precedent was created. The Home Minister named Mr. Pachouri, Mr. Pachouri wanted to make an explanation and the Chair allowed him to do so. ...*(Interruptions)*... I am sorry. The Chair allowed to do so. A precedent which was set 20 minutes ago cannot be breached at this stage. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is not the point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, please listen to the Chair. The question here is this. I would like Mr. Pranab Mukherjee to clarify. Here, there is no question of personal explanation, because you have not made any allegation. He has only said something. And, he is a Minister in the Council of Ministers. His figures are being questioned. So, he has a right to speak and clarify the figures...*(Interruptions)*...It is not a personal explanation. It is a question of figures.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to submit this. ...*(Interruptions)*...The only Minister concerned in this debate is the Home Minister, not the Law Minister. ...*(Interruptions)*...Please listen. This is a procedural matter. The only Minister concerned in this debate is the Home Minister, not the Law Minister. The Home Minister can get up umpteen number of times, as many times as he wants. He can clarify any position.

Mr. Arun Jaitley's status in this debate is nothing but an ordinary Member. ...*(Interruptions)*... Mr. Arun Jaitley stood up in this debate as an ordinary Member...*(Interruptions)*... Like an ordinary Member, he cannot be allowed to make a second speech...*(Interruptions)*... Mr. Arun Jaitley has no right to clarify. ...*(Interruptions)*... He is not speaking as a Minister. The responsibility between a Member and a Minister must be distinguished. In the present case, the concerned Minister is Shri L.K. Advani, the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Arjun Singh, while replying to the debate, mentioned his name, and then referred to the figures that he gave; and so, you are questioning them...*(Interruptions)*... Or, you are questioning them in relation to what is stated in the newspaper. ...*(Interruptions)*... So, as a Minister, or, as a person in the Cabinet, he has a right to clarify. ...*(Interruptions)*... Please hear me. It can be a genuine misinterpretation. But he has a right to clarify his interpretation. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am afraid, Sir, in that case, every Member will have the right to speak for the second time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him clarify. Mr. Jaitley, you will have to be very brief.

SHRI ARUN JAITLEY: I will be very brief, Sir. Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to you for having given me this opportunity. The hon. Member, Shri Arjun Singh, while replying to the Motion, has read out some figures and some statements made in the newspaper articles, which referred to the statements that I have made before this House in the course of the opportunity that was provided to me. There are three facts, which were mentioned which have been contested. The first refers to the statement that I had made, that 37,545 persons have been arrested, of which 14,144 are for criminal charges, and the others are under preventive arrest. Under preventive arrest, people are arrested under the provisions of the Cr.P.C. for apprehension of breach of peace. They are produced before a Magistrate. When the apprehension in the Magistrate's opinion is over, those persons are released. Nobody has contested those figures, either in this House or in the newspapers, and I stand by every figure that I had given. Sir, the second factor which has been mentioned is, what I had stated, that 17 days later, one lady had lodged an FIR in a relief camp. The police investigated that, found it to be *prima facie* correct, and therefore, action has been taken. The newspaper which Mr. Arjun Singh has referred to, surprisingly

says, 'in Ahmedabad, there is no such FIR.' Let me give the specific particulars. There are two FIRs, which are in Kambad rural in the Anand district, registration No. 35/2002, and Ranawade in the Panchmahal district, registration No. 59/2002. The newspaper, somehow, was under the impression that the whole of Gujarat really is Ahmedabad. When I was referring to the rape FIRs registered, they have confused it by saying that it is in Ahmedabad. Well, I have not said anywhere that it is in Ahmedabad. Both the FIR numbers and the districts are before us. ...*(Interruptions)*... Sir, the third factor...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the third statement which I had mentioned, and which was contested, was when I was asked a question by the hon. Member, Shrimati Shabana Azmi, as to those who were killed in the police firing, which was the community whose figure was larger. My speech before the House was very clear. I said: " Till 18<sup>th</sup> April, the figure of the majority community was higher, and thereafter, were members of the minority community...

SHRI KAPIL SIBAL: No, no. You have not said that. You check the record. You never said that. ...*(Interruption)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, you are allowing him to make clarifications. What is the clarification? ...*(Interruptions)*... He is reiterating his own point. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: If the hon. Members hear two more sentences, the whole issue will be clear. Till 18<sup>th</sup> April ...*(Interruptions)* ...

Sir, till 18<sup>th</sup> April, the figure of the majority community was higher. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, what he is saying is shocking. .. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: In police firing, I reaffirm that till 18<sup>th</sup> April, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete...*(Interruptions)*... Let him complete.

SHRI ARUN JAITLEY: I reaffirm that till 18<sup>th</sup> April, the figure of the majority community was higher...*(Interruptions)*...

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I quote a ruling: "No debatable matter can be discussed in the name of personal explanation." ...*(Interruptions)*... That has been given by the Chairman on 30<sup>th</sup> March, 1988.

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Chairman, Sir, I reaffirm that till 18<sup>th</sup> April, the figure of the majority community was higher. On 18<sup>th</sup> April, it became almost equal, and, thereafter, the figure of the minority community was higher. These figures which the newspaper have mentioned relate to the 3<sup>rd</sup> of May.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I have observed that the whole debate has been ...*(Interruptions)*... He is making a second speech, which he is not entitled to. You have allowed him to make a second speech. Secondly, he cannot ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I reaffirm that till 18<sup>th</sup> April, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete. ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I reaffirm that till 18<sup>th</sup> April, the number of members of the majority community was higher. It became almost equal on 18<sup>th</sup> April, and, thereafter, the number of members of the minority community was higher. This is what I have to say in response to what Mr. Arjun Singh has said.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Finished.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is against the convention of the House.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Arjun Singh. ...*(Interruptions)*... Mr. Arjun Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I want to have an explanation, because he has actually misled the House.

MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing you.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I want to raise a point.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can raise it.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I say, with all respect, that the Minister, by the various statistics that he is giving, is trying to mislead the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him complete.

DR. MANMOHAN SINGH: I say it on the authority of the National Commission for Women with regard to the incidents of rape against women. If you like, I will read from that statement. The impression that you are trying to create is totally contrary to what the National Commission for Women has stated. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN JAITLEY: Sir, if the Leader of the Opposition has any points to contradict the figures, let him say so. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Arjun Singh. ...*(Interruptions)*... Mr. Arjun Singh. ...*(Interruptions)*... Mr. Arjun Singh.

**श्री अर्जुन सिंह :** माननीय सभापति महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए अधिनायकवादी शक्तियाँ जो हैं वह सबसे ज्यादा तथ्यों से डरती हैं। जितना उनको प्रमित किया जा सके उतना ही उनको मौका मिलता है अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात का जो पूरा घटनाचक्र हुआ, समय-समय पर सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया गया, कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी व्यक्त किया, यह एक प्रयोगशाला थी। किस बात के लिए प्रयोगशाला थी? इस बात की प्रयोगशाला थी कि साम्प्रदायिक तनाव को एक चरम सीमा तक बढ़ा कर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, वह प्रतिक्रिया किस के पक्ष में जाती है और किस के विपक्ष में जाती है। सभापति महोदय...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

**श्री अर्जुन सिंह :** यह बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की प्रयोगशाला भारतीय आजादी के 55वें वर्ष में इस देश में लगाने की कोशिश की जा रही है और परोक्ष रूप से जो व्यक्ति इस दिशा में व्यस्त है कर रहे हैं। उनके ऊपर इस सरकार का वरदहस्त है, ऐसा मुझे आभास होता है। इसलिए यह जरूरी है, आवश्यक है कि हम केवल इस बहस को करके ही संतुष्ट न हों।...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak

**श्री अर्जुन सिंह :** माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने एक सूची दी है कि इन-इन बातों में क्या कार्यवाही की गई। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री शब्दों में तो ठीक हैं लेकिन भावनाओं में नहीं हैं। मैंने ऐसे ही अपने प्रधान मंत्री पर कोई लांचन नहीं लगाया है।...*(व्यवधान)*... लेकिन यह जरूर है कि जब तक कोई स्पेसिफिक एक्शन इन बातों पर नहीं लिया जाता या कम से कम इस सदन को सूचित नहीं किया जाता तब तक सभी बातें निरर्थक हैं।

इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है और यह सदन की गरिमा और कर्तव्य से विमुख है। प्रधान मंत्री जी पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। आदरणीय प्रधान मंत्री जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह आप हमसे मत पूछिये, अगल-बगल बैठे हुए लोगों से मत पूछिये, अपने दिल से पूछिये। इन परिस्थितियों में भारत के प्रधान मंत्री को क्या करना चाहिए। हममें से शायद कोई सक्षम नहीं है जो भारत के प्रधान मंत्री को राय दे सके। अगर वे स्वयं स्वप्रेरणा से उस राय पर पहुंचने में असमर्थ हैं तो दुर्दिन हैं अपने देश के, इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? सवाल यह है कि हम क्या इसी परिस्थिति में इस विषय को छोड़ दें। आपने सोचा था, एक टेब्लिक थी, इसको स्वीकार कर लीजिए, एक मत से हो जायेगा। फिर किसी का कुछ बोलने का मतलब ही नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा संकेत दिया था। लेकिन सभापति महोदय, यह पक्ष और विपक्ष का प्रस्ताव नहीं था, यह इस देश के मर्म का प्रस्ताव है। हम भारतीय होने के नाते, ऐसी परिस्थितियों पर, ऐसी घटनाओं पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या सोचेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे, वह इस डिबेट में प्रतिध्वनित होना चाहिए और वह हुआ है। लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी की ओर से क्या होना चाहिए। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी से मत पूछिये। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जो ठीक समझें, वह करिए आज ऐसे सलाहकारों की जरूरत नहीं है जो आपको इस झंझट से निकालकर आपकी कुर्सी को सक्षम से असक्षम बनाकर रखना चाहते हैं। आज उस सलाह की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समय है, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि समय है पीछे की बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। निश्चित ही प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश एक मोर्के पर ऐसी बात सोचता है और आपने ऐसी बात सोची, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप तब आगे बढ़ सकते हैं जब इर्द-गिर्द के जो पूर्वाग्रह हैं, उनसे ऊपर उठकर देश के लिए क्या जस्सी है, उस दिशा में सोचेंगे, तभी हम आपके साथ हैं। लेकिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित अपनी उस स्थिति को बनाकर रखने की, अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए यदि एक नाटक होगा, तो हम उस नाटक के अंग नहीं होना चाहते हैं। यदि आप गुजरात में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां के मुख्य मंत्री श्री मोदी जी को अपनी जगह से उठाकर और जहां भी बैठाना चाहें, उन्हें बैठा दीजिए। वे इस लायक नहीं हैं कि एक प्रजातांत्रिक देश में एक ऐसे स्थान को सुशोभित करें जो स्थान संविधान के मुताबिक उस व्यक्ति के लिए है, जो शपथ लेते समय संविधान की शपथ ले और उस संविधान की शपथ लेते हुए उस शपथ को पूरा करे। मैं कह सकता हूँ कि कार्य में, विचार में उन्होंने उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने मुख्य मंत्री बनते हुये ली थी। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री जी भी इस गलती को क्षमा करें। क्योंकि अगर इस गलती को आप आज क्षमा करेंगे तो क्षमा करिए, लोग प्रश्नचिह्न लगायेंगे आपने जो शपथ ली है, उसके प्रति आप कहां तक जिम्मेदार हैं। यह शपथ किसी पद पर जाने के लिए नहीं होती है। पद तो उसका एक अंग होता है। यह शपथ प्रधान मंत्री जी की उस सार्वभौमिक शक्ति को प्रदर्शित करती है, जो लोगों के बीच में न्याय करता है, सबको बराबर देखता है, जाति-धर्म किसी में भेद नहीं करता है और सबको शासन की रक्षा देता है। आज क्या वह गुजरात में हुआ है? कितने हिन्दू मारे गये, कितने मुस्लिम मारे गये, आज यह सवाल उठ पड़ा है। यह कोई चर्चा की बात है। मनुष्य मारे गये, अमानुषिक कृत्य हुये, वहशियानापन की इंतहा कर दी गई, उसको रोकने में कौन सफल हुए, कौन सफल नहीं हुए, यह देखने की बात है। जो नहीं हुए उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप इस संविधान के अंदर झांककर देखें और जो शक्तियां इसमें हैं, उनका उपयोग करें तब जाकर भारत के प्रजातंत्र की रक्षा आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के

जज की बात कही जाती है। आप कहते हैं कि क्या करें, वह तो हो चुका है, हो रहा है। क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि हम सब लोग इस बात से भ्रमित हो जाएंगे और आप भी भ्रमित हो गये। कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर सबके अंदर यह भरोसा पैदा करना चाहते हैं तो आज भी देर नहीं हुई है। आगे देखने के लिए रास्ता तय कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाइए और उसको अधिकार दीजिए कि वह अपनी रिपोर्ट दे और जो रिपोर्ट वह दें, उस पर आप अमल कीजिए। सिटिंग जज को लीजिए, चीफ जस्टिस को लीजिए लेकिन जो अभी नाटक वहां इन्क्वायरी का किया गया है, वह नाटक काम नहीं करेगा, इतना आप स्वीकार करें। दूसरा, आपने कहा कि आप क्या करें, ठोस सुझाव दीजिए। दूसरा ठोस सुझाव अकेले मेरा नहीं है। वह ह्यूमैन राइट्स कमीशन का सुझाव है और वह सुझाव है, सी.बी.आई. के द्वारा इन्क्वायरी कराने का। यह कह दिया गया कि इतने दिन से इन्क्वायरी हो रही है, चार्ज शीट हो रही है। हमें तो कहीं दिखता नहीं है। और मैं मानता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सरकार अपनी ओर से पहल करेगी कि इन कारणों से यह इन्क्वायरी समय पर नहीं हो पाई और अब सी.बी.आई. की इन्क्वायरी होगी, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आड़े आएगी। वहां पर ऑलरेडी एक पेटिशन पड़ी हुई है। उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। केवल आपको कोशिश करनी है, उनके सामने जाना है और सही ढंग से बात पता करने के लिए उनसे निवेदन करना है। वह करने में भी आप हिचकिचा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जो यह देश भारत के प्रधान मंत्री से अपेक्षा करता है, उस अपेक्षा को आप पूरा करें। प्रधान मंत्री के गरिमामय पद पर विराजे हुए आप देश को आश्वस्त करिए कि किसी भी प्रकार की ऐसी किसी कोशिश को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सही बात का पता लगाने में और दोषियों को दंड देने में बाधक हो। यह आश्वासन आपके द्वारा दिया जा चुका है लेकिन उस पर आपने कोई अमल नहीं किया है। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आपका इरादा नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका इरादा व्यक्तिगत स्तर पर नेक है। आपकी नीयत साफ़ है लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोग जो अपने सीमित स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए आपका हाथ पकड़े हुए हैं, उन हाथों को झटकिए। आज भारत माता पुकार रही है, गुजरात की निर्दोष माताएं, बहनें और बच्चे पुकार रहे हैं कि भारत का प्रधान मंत्री आगे बढ़कर उनका हाथ थामें, उनकी रक्षा करें, उनको सान्त्वना दे और आगे जीवन में जीने का एक मौका दे। वह आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? इसीलिए अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप चूंक कवि हैं, कवि हृदय हैं। मैं स्वयं की कविता तो नहीं कर सकता लेकिन एक ऐसे कवि के शब्दों को उद्धृत कर सकता हूँ जिन्हें इस देश का राष्ट्रकवि कहलाने का अवसर मिला है और वह कवि दिनकर हैं। ... (व्यवधान)... डा० कर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि इस सदन को यह गौरव भी प्राप्त है कि वे इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। माननीय श्री दिनकर जी की कविता है "परशुराम की प्रतीक्षा"। उसमें वह कहते हैं :

तिमिरपुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्काण्ड रचें ना !  
 सावधान, हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना ।  
 बलि देकर भी बली ! स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे ।  
 मन्दिर और मस्जिद, दोनों पर एक तार बांधो रे ॥  
 समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र,  
 जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध ।



इन शब्दों के साथ उन सभी साथियों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिन्होंने समर्थन किया, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से यह आज का अवसर, यह फैसला भारतीय संसदीय इतिहास में एक नये मोड़ को जन्म देगा, इस विश्वास के साथ मैं सभी का समर्थन मांगता हूँ और सर्वसम्मति से इसको पास करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ ।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Shri Arjun Singh to vote.

The question is:

"That this House expresses its deep sense of anguish at the persistence of violence in Gujarat for over six weeks, leading to loss of lives of a large number of persons, destruction of property worth crores of rupees and urges the Central Government to intervene effectively under article 355 of the Constitution to protect the lives and properties of the citizens and to provide effective relief and rehabilitation to the victims of violence."

*The motion was adopted.*

---

#### **Observation by the Chairman**

MR. CHAIRMAN: I congratulate the hon. Members of the Rajya Sabha for adopting the Motion on Gujarat with one voice. This Motion agreed to by the Opposition and the Government is a testimony to the spirit of accommodation, adjustment and the resilience of our democracy. I have every hope that this common voice will help strengthen the confidence of the people in our democratic institutions. This one voice rising from the Chambers of the Rajya Sabha will reverberate throughout the country and blow away the dark and ominous clouds hovering over the State. Hopefully this will help usher in an era of lasting peace for the people of Gujarat. The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past three of the clock,

[THE VICÉ-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair.]